# परिपत्र-हस्तिका (कम्पेन्डियम)

(अगस्त १९९३-मार्च १९९४.)

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् बेल्ट्रॉन भवन, शास्त्रीनगर पटना-२३ -5412 379-15 BiH-1

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE National Institute of Educational Planning and Administration. 17-B, Sri Aurobindo Marg, New Delhi-110016 Date 05 94

### प्रस्तावना

बिहार शिक्षा परियोजना, बिहार राज्य की शैक्षिक स्थित में गुणात्मक सुधार लाने एवं लोक भागीदारी के द्वारा सबके लिये शिक्षा उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से उत्साह, उम्मीदों एवं अपेक्षाओं के साथ प्रारम्भ की गई है। वर्ष १९९१ में इस परियोजना को मूर्त रूप दिया गया है। इसके अन्तर्गत कई आयाम सिम्मिलत है यथा प्राथमिक स्कूली शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, पूर्व प्राथमिक शिक्षा, प्रशिक्षण, महिला विकास एवं सशक्तीकरण, संस्कृति संचार एवं अनवरत शिक्षा तथा माइक्रो परियोजनाएं। इन आयामों से सम्बन्धित कार्यक्रमों का संचालन हेतु बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् से अनेक पत्र परिपत्र निर्गत किये गये है। इन परिपत्रों के आलोक में कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। विभिन्न परिपत्रों का संकलन कर प्रस्तुत परिपत्र संग्रह (अगस्त, १९९३ से जून, १९९४ तक) आपके समक्ष प्रस्तुत है।

आशा है बी.ई.पी. के विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन में यह आपका मागदर्शन करेगी। 'फीड- बैक' के आधार पर भविष्य में परिपत्रों मे आवश्यक संशोधन भी किया जाता रहेगा जिससे कार्यक्रम प्रभावी ढंग से चले।

(एस. विजयराघवन)
- निदेशक,
बिहार शिक्षा परियोजना परिषद
- बेल्ट्रान भवन, बेली रोड,
पटना-२३

- **ж** प्रबंधन
- प्राथमिक औपचारिक शिक्षा
- **अप्रशिक्षण**

### बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् बेल्ट्रॉन भवन, शास्त्रीनगर पटना-२३

BEP. Admn. 2440

26.7.1993

OT

All District Magistrate-cum-Chairman Executive Committee, BSPP.

Dear Sir,

Sub: Implementation of BEP programme-arrangement for supervision, monitoring and evaluation follow up action.

In continuation to the instructions issued on the Action Plan subsequent to the workshop held on April, 1993, I would like to draw your attention to the qualitative aspects of effective supervision and monitoring and also the need for immediate follow up action.

On the major activities under the programme a few important points have been suggested in the annexed note which may be perused and acted upon accordingly for the purpose of achieving qualitative results and for effective BEP intervention.

Thanking you,

Yours faithfully, Sd/-Director.

CC: To concerned DDCs of BSPP
Fr. E.A. Augustine
Prog. Coordinator
BEP E. Singhbhum,
Jamshedpur.

NOTE ON IMPORTANT ACTION POINTS IN THE IMPLEMENTATION OF BEEP PROGRAMME AT THE DISTRICT LEVEL.

### **MANAGERIAL AND ADMINISTRATIVE POINTS:**

For the implementation of the BEP Programme a district task force has been created at the district level and the requirement of various categories-Staff/Officers/Consultants/Resource Persons has been worked out and communicated. Any further requirement will have to be justified with the corresponding work load. For any appointment on contract or on deputation to the post of Officer On Special Duty/Consultants/Resource Persons/Asstt. Resource Persons procedure to be adopted will be an follows:-

a) The DM/DC and the DDC would short list the names of the suitable persons and then recommend to the Committee consisting of the Project Director, Representative of UNICEF and Representative of Govt. of India who will interview the concerned persons and recommend to the Education Secretary-cum-Chairman Executive Committee BSPP for approval in anticipation of the State Executive Committee's approval or for placing before the State Executive Committee. In no case the appointment and fixation of the salary will be done by the District units without following the above procedure.

per the rule 44(c) of the Bihar Shiksha Pariyojana Parishad rule "Staff which may devolve permanent liability on the State Govt. shall not be appointed"

It would be advisable to have a designated Officer as over all Incharge for the office management and coordination between various components. The Office procedures and instructions should be clearly spelt out and there should not be too many levels of decision making.

The job allocation and specification of subjects should be spelt out clearly among the officers/ Consultants and Resource Persons. it would be advisable to have an Officer or Consultant fully Incharge of all the component/subject and there should not be any clubbing of persons for the same rank for the same subject. The salary admissable to officers and staff on deputation will be as per the rules of the State Govt. or as per the conditions agreed to by BSPP while asking for the services. The Salary and deputation allowance would be payable by BSPP. For the staff no honorarium should be paid for seminar/workshop/orientation or training programmes.

In case of Class III and IV staff taken on contract basis, the total amount payable as salary should be as per the ceiling prescribed in the schedule appended to the service rule.

Utmost parsimoni should be observed with regard to management and administrative cost. It should be ensured that overall management cost does not exceed 6% of the total budgeted cost for the year.

### **Executive Committee meetings**

In the District, the Executive Committee shall meet as often as possible, but atleast once in a quarter. In the beginning the meetings can be arranged once in 2 months so that necessary monitoring and review of progress in done by the Executive Committee.

The agenda notes for the Exectuve Committee meeting should be circulated to all members at least seven days prior to the meeting as per the rule. No important agenda or agenda relating to administrative matters like fixation of salary, increase of salary, promotion etc., should be brought under miscellaneous items, just on the day of the meeting. The agenda note should include the progress report (physical and financial) comments on the internal audit reports paragraphs/statutory audit paragraphs or on the points raised in the concurrent evaluation report if any. Each component Incharge should be asked to present the progress report concerning his/her subject and the analysis of the progress with reason for any shortfall.

### **Steering Group meeting:**

The Steering Group for each component shall meet atleast once in a quarter to decide on various policy issues and for drafting the annual plan. Steering group should not be used for Executive decisions or for administrative controls and regular inspections.

#### **Primary Formal Education**

In the case of primary formal education detailed instruction have been circulated in April, 1993 and July, 1993, however, there are certain action points which are relevant from the qualititative aspect of BSPP intervention such as inspection of schools, VECs functioning etc.

Inspection of schools will be necessary from the point of view of ascertaining (i) whether the school facilities provided under the programme have reached the beneficiaries through community or mot. (ii) Whether there have been any remarkable increase in enrolment, attendance of learners and teachers due to BSPPs intervention. The focus being on the girl child necessary analysis with respect to the percentage of increase over the previous year with respect to the enrolment, attendance, minimum level of learning of girl children will have to be specifically mentioned. Analysis done periodically in the case of MLL Schools after conducting necessary tests may be at least initiatted.

Apart from utilising Mahila Samakhya structure of Sahayoginis and Sakhis voluntary agencies in the districts or the NSS Cadre can also be tried to have inspection done of a quite a few number of schools in the districts

School based activities like Balmelas, childrens' competion, sports activities, celeberation of important days etc. which can also be intra or inter school activities can be initiated and voluntary agencies can also be associated for such activities and for environment creation.

In case of supply of materials to schools like innovative equipments, sports equipments, library books etc., it is advisable to provide alongwith the box/alimirah as per the action plan.

#### **TEACHER TRAINING:**

In case of teacher training the residential is essential and therefore, no training without such facilities should be arranged and also training without training mannual should not be undertaken.

### **DISTRICT TASK FORCE MEETING:**

The District Task Force Meeting should be held preferable every week and if it is not feasilbe the meeting should be held fortnightly. The District Magistrate/DC and DDC should invariably attend this weekly meeting which will give an idea about the on going activities and also help to clear any difficulties at the field level from the Govt. functionaries or individuals. The weekly meetings will also help in exchanging information between the various components Incharges for creating an atmosphere of team effort.

In the District Task Force meeting the Distt. Supdt. of Education may be associated as a special invitee to ensure coordination at the field level.

#### **ACCOUNTS:**

Observance of norms and procedures laid down in the financial rules will be strictly necessary and monthly preparation of trail balance and income & expenditure statement should be enforced. Maintenance of Stores, purchase of items and payment of advance etc. should be as per the provisions in the Financial Rules. Any unnecessary acquisition of assets should be avoided. As far as possible, the District should work out the requirement as per the Action Plan approved, and request the State Level Office for supply of items through UNICEF or for authorisation for local purchases, if it exceeds an amount of Rs. 10,000/- (Rupees Ten thousand only) in value. For obtaining the SLO's approval the Purchase Committee's recommendation will be necessary.

### PROGRAMME ACTIVITIES:

It would be necessary to interlink and dovetail the BEP Programme with the other developmental activities in the district like JRY, Operation Black Board, School building construction, Provision of Tubewell, construction of toilets, construction of rural roads, social forestry etc. The District may report specifically to the SLO, any such initiative taken, in their monthly reports.

After the training is over it is essential to have teacher contact programmes rugularly through 'Gurughostis' news letter or magazines and by having periodical visits to the schools on sample basis by faculty members. Also there can be an arrangement of 'Spear Head Team' in which retired school

Head Masters, retired trainers, middle school Head Masters, high school teachers and others cann be associated for field visits once in quarter for assessing the impact of teacher training and for assessising the community involvement in the school activities like enrolment, construction/repair, distributition of text books etc.

#### **NON FORMAL EDUCATION:**

It is essential to monitor regularly, the enrolment, trainings of Instructors, attendance of girl childrien in NFE centres etc. The system of inspection and monitoring by middle school Head Masters' for the centres in their areas or in the nearby areas can be designed at the district level. It should also be ensured that the primers or books are distributed to the learners without fail.

### MAHILA SAMAKHYA.

Since MS Programme is a process oriented programme for creating awareness among rural women and for preparation of cadre of skilled women at the village level, it should not be viewed and assessed against quantitative targets. The Mahila Samakhya structure can be better utilised for the purposse of feed back and monitoring of the activities under other components at the village level. There should be regular exchange of information in the weekly task force meeting and other BEP functionarities should be familiarized with the details of MS Programme.

### **DATA COLLECTION AND MONITORING:**

There should be vigorous system of supervision and periodical monitoring, for which visits of the field by the persons concerned or by the Team constituted should be arranged. The analysis of the data should be placed before the district task force meeting and the Executive Committee meeting and necessary rectification action if need be, should be taken. The NIC net work for passing on the data and the analysis done to the SLO may be used.

The total expenditure on account of programme activities could be limited to the 70% of the total budgeted cost and no programme activities without this specific approval of the District Executive Committee or the State Level Executive Committee should be undertaken and norms fixed for each of the activities sould be strictly followed.

#### **COMMUNITY INVOLVEMENT:**

For ensuing community involvement in the various activities of BEP it would be first essential to revitalize the existing village education committees and it is not feasible, new village education committees as per instruction circulated should be formed. The revitalization and formation of VECs will be a slow process spread over the long period which should be monitored by the periodical visits to find out as to the participation in the meetings, by the focus group members and frequency of the meetings etc.

The community involvement will be necessary for the activities like school building construction, repair, supervision of infrastructural facilities in the school campus, text book distribution, supervision of NFE centres, distribution of powers, enrolment drive etc.

### **ASSOCIATION OF VOLUNTARY AGENCIES:**

There should be a clear comunication of instructions and norms to all the voluntary agencies involved in the project and periodical meetings with the voluntary agencies to review the progress and also for grievance redressal should be arranged. The procedure of sanction and release of funds to voluntary agencies may be simplified, but the accountability of the voluntary agencies should be stressed.

## बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् बेल्ट्रॉन भवन, शास्त्रीनगर, पटना

पत्र संख्याः-बी.ई.पी.-२५९८/ पटना, प्रेषक. दिनांक- २६, अगस्त, १९९३.

श्री एस. विजयराघवन, भा.प्र.से. निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्

सेवा में.

पटना।

सभी जिला पदाधिकारी/उपायुक्त-सह-अध्यक्ष जिला कार्यकारिणी समिति उप विकास आयुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक फादर ई.ए. अगस्टिन, जिला कार्यक्रम समन्वयक, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

प्रभारी पदाधिकारी, प्राथमिक औपचारिक शिक्षा, बिहार शिक्षा परियोजना, रांची/पूर्वी सिंहभूम/चतरा/मुजफ्फरपुर/रोहतास/ पश्चिम चम्पारण/सीतामढी।

विषय:- जिला में कार्यरत ग्राम शिक्षा समिति के कार्य-कलापों के संबंध में अनुश्रवण की प्रक्रिया। महाशय

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि बिहार शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समिति की अहम् भूमिका प्रदान की गई है। इसके लिए पूर्व से संचालित ग्राम शिक्षा समिति को पुनर्गठित किया जा रहा है एवं विद्यालयवार नई ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया जा रहा है। इसके साथ ही परियोजना के कार्यों के सफल संचालन हेतु इन ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। इसके लिए सभी जिलों में रिसोर्स पर्सन को प्रशिक्षित किया जा चुका है तथा ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित करने हेतु पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया गया है।

ग्राम शिक्षा समिति के कार्यों का समीक्षा करना आवश्यक प्रतीत होता है जिससे पता चल सके कि कितने ग्राम शिक्षा समिति सही ढंग से कार्यरत हैं। इस संबंध में निम्न प्रक्रिया अपनायी जा सकती है-

१- जिले के प्रत्येक ग्राम शिक्षा समिति की बैठक महीने में सामान्यतया एक बार बुलाई जाया विशेष परिस्थिति में एक से अधिक बैठक भी बुलाई जा सकती है।

२- बैठक की तिथि का रोस्टर तैयार किया जाय ताकि निश्चित तिथि को बैठक अवश्य हो।

- ३- बैठक की तिथि संबंधी रोस्टर की कॉपी बिहार शिक्षा परियोजना के जिला कार्यालय में डिस्प्ले बोर्ड पर लगाया जाय। साथ ही इसकी प्रति सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं ग्राम शिक्षा समिति को दी जाय।
- ४-ग्राम शिक्षा समिति की बैठक के लिए प्रत्येक विद्यालय में एक पंजी संधारित किया जाय जिसमें बैठक की कार्यवाही दर्ज की जाय। ५-बैठक की कार्यवाही की एक प्रति परियोजना के जिला कार्यालय को भेजी जाय
- ६- जिला परियोजना कार्यालय के ग्राम शिक्षा समिति से संबंधित रिसोर्स पर्सन इसकी प्रति माह समीक्षा कर एक प्रतिवेदन तैयार करें जिनमें निम्नांकित बिन्दुओं की चर्चा हो-
- (क) जिले में कुल ग्राम शिक्षा समिति की संख्या।
- (ख) रोस्टर के अनुसार निर्धारित तिथि को कितने ग्राम शिक्षा समिति की बैठकें हुई।
- (ग) कितने ग्राम शिक्षा समिति की बैठक निर्धीरित तिथि को नहीं हुई।
- (घ) बैठक नहीं होने का कारण।
- (ङ) बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की औसत संख्या।
- (च) महिलाओं की औसत उपस्थिति।
- (छ) बैठक में पारित प्रस्ताव-

II

Ш

- (ज) जिला कार्य बल के सदस्यों द्वारा कितने बैठकों में भाग लिया गया।
- (झ) अन्य बिन्दु जो विशेष रूप से उल्लेखनीय हो।

अतः अनुरोध है कि ग्राम शिक्षा समिति के संबंध में कृपया उपर्युक्त प्रक्रिया अपनायी जाय एवं प्रति माह प्रतिवेदन बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् के पास भेजी जाय।

स. सिंह

78.6.93

विश्वासभाजन

ह०/-

निदेशक बिहार शिक्षा परियोजना.

पटना। पटना।

ज्ञापांक:-

/पटना.

दिनांक-

प्रतिलिपि-श्री जे.पी. प्रकाश, उप सचित, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली/श्री टी.एस. सान्धु, प्रोजेक्ट, यूनिसेफ पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

निदेशक.

बिहार शिक्षा परियोजना.

पटना।

## बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् बेल्ट्रॉन भवन, शास्त्रीनगर, पटना

पत्र संख्या:-

बी.ई.पी.-३०४८

्रपटना,

दिनांक- ९.११.९३

प्रेषक,

श्री एस. विजयराघवन, भा.प्र.से. निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना, पटना।

सेवा में.

उप विकास आयुक्त-सह-परियोजना समन्वयक, बिहार शिक्षा परियोजना, रांची।

### विषय:-

बिहार शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत उपस्कर के क्रय के सम्बन्ध में।

#### महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके प्रत्रांक-७४४ दिनांक- ५-८-९३ के कम में कहना है कि आपने निम्नांकित उपस्करों को उसके आकार एवं नमूना के अनुसार निर्धारित दर पर कय का अनुमोदन मांगा है-

१. टेबुल (साल लकड़ी का) आकार -३ १/२ फीट X २ १/२ फीट X २ १/२''- ४३३.०० रूपये

२. कुर्सी (साल लकड़ी का) ४४५.०० उपर्युक्त उपस्कर के क्रय का अनुमोदन निम्नांकित शत्तों के साथ दिया जाता है-

- १. क्रय समिति द्वारा विहित प्रक्रिया से उपस्करों का क्रय किया जाय।
- २. इसका अनुमोदन जिला कार्यकारिणी समिति द्वारा ले लिया जाय।
- कुर्सी के मामले में उसका साईज निर्धारित कर लिया जाय।
- ४. क्रय समिति के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित नमूना परियोजना कार्यालय में सुरक्षित रखा जाय ताकि किसी भी समय इसकी जांच की जा सके।

विश्वासभाजन, ह०/-निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना पटना.

### बिहार शिक्षा परियोजना परिषद

### बेल्ट्रान भवन, शास्त्री नगर, पटना

पत्र संख्या:-बी.ई.पी.- ३११८/

पटना.

२५ नवम्बर, १९९३

प्रेषक.

श्री एस. विजयराघवन, भा प्र.से.

निदेशक.

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद.

पटना।

सेवा में.

सभी उप विकास आयुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,

फादर ई.ए. अगस्टिन,

जिला कार्यक्रम समन्वयक,

बिहार शिक्षा परियोजना, पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर

प्रभारी पदाधिकारी.

प्राथमिक औपचारिक शिक्षा.

बिहार शिक्षा परियोजना.

रांची/पूर्वी सिंहभूम/मूजफ्फरपुर/सीतामढ़ी/पश्चिम चम्पारण/

रोहतास/चतरा।

विषय:- बिहार शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत वर्ष ९३-९४ के दौरान प्रति विद्यालय दिये जाने वाले सामग्रियों की सूची तथा संख्या।

महाशय.

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार शिक्षा परियोजना की कार्य-योजना ९३-९४ के अन्तर्गत परियोजना जिलों के चयनित प्राथमिक विद्यालयों में इनोभेटिव स्कूल सामग्री, खेल-कूद सामग्री, उपस्कर एवं पुस्तकालय हेतु पुस्तकों की आपूर्ति की जानी है। इस संबंध में विस्तृत अनुदेश इस कार्यालय के प्रतांक -२३७३ दिनांक-१७-७-९३ के द्वारा सभी जिलों को भेजा गया था किन्तु सामग्रियों की आपूर्ति के संबंध में आंशिक रूप से संशोधन किया गया है।

उपर्युक्त समग्रियों की संशोधित सूची एवं प्रति विद्यालय को आपूर्ति की जाने वाली सामग्रियों की संख्या जो कि यूनिसेफ को आपूर्ति करने हेतु अनुरोध किया गया है, सहज प्रसंग हेतु इस पत्र के साथ संलग्न कर आपके पास भेजा जा रहा है। कृपया स्थानीय स्तर पर क्रय के क्रम में संलग्न सूची के अनुसार सामग्री एवं संख्या की आपूर्ति विद्यालयों में की जाय। अनु :- सूची संलग्न।

विश्वासभाजन.

ह०/-निदेशक.

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद

पटना।

## List of Innovative School Equipments supplied under BEP-per school.

- 1. Basis of purchase will be the necessity of items and number of students.
- 2. Selection of items is as per syllabus.
- 3. Specification of items will be as per NCERT standard.
- 4. Teachers Hand book and Kit mannual (NCERT) are to be supplied for the proper use of innovative school equipments.

#### MATHS.

SI. N	o. Name of items.	Nos.	Specification.
1.	Dominoes.	1 set of 55 dominoes	
2.	Spike Abacus.	50	
3.	Cubic rods.	1 set.	Specification
<b>4</b> .	Solid shapes.	1 Set.	annexed.
5.	Fraction Disc.	1 Set.	
6.	Tailors' measuring	2	
	Tape.		
<b>7</b> .	Wooden Geometry Box.	2	To be decide
8.	Mathematical cut outs.	1 set.	

LANGUAGE & OTHERS.

SI. No	o. Name of items.	No.	Specification.
1	Alphabet Box	1 (Hindi) 1 (English)	i i
2.	Globe.	1	i Specification
3. N	Mineral Chips	1 <b>Set</b> .	i annexed.
4. (	Charts.		i
A	A. Parts pf Flowering Plant-	3 pieces.	
· I	B. Body parts of different animal.	3 "	
(	C. Human Body.	3 "	
I	D. Young ones with their adults (cow, cat, dog, hen etc.).		

### PHYSICS.

Sl. N	o. Name of items.	No.		Specification.
1.	Plane Mirror.	2	_	Annexed.
2.	Magnifying glass.	2		
3.	Spring Balance.	1	-	Annexed.
4.	Weight Box.	1		
5.	Measuring Pots.	50ml.	100 ml	Annexed.
		500ml.		
6.	Magnetic Compass.	2	-	Annexed
7.	Magnet-Liner Circular	(2 sets.	-	Annexed.
8.	Plastic spoon.	2	- -	Annexed.
9.	Electric Circuit Board-	**	<del>-</del>	Annexed.

### CHEMISTRY.

Sl. No. Name of ite	ems.	No.	Specification
1 Test Tube v	vith holder		Annexed
2. Spirit Lamp		2	tt ,
3. Beaker.	•	2 (glass)	11
4. Sand paper.		1 sheet.	tt
5. Filter paper		12	11
6. Polythene B	ags.	20	11
7. Rubber balo	oons.	12+6	•
8. Funnel.		1	**

### **MINI TOOL KIT**

1.	Vice.	1	Annexed.
2.	Screw driver	1	"
3.	Junior Hacksaw.	1	и
4.	Hammer.	1	н
<b>5</b> .	Bycycle Wrench.	1 set.	11
<b>6</b> .	Scissors.	1 big.	u
		1 small.	
7.	Cello Tape.	1	

### LIST OF FURNITURE/PER SCHOOL

Sl. No.	Name	Nos.	Specification
			 •
01.	Table	2	
02.	Chair	5	
03.	Mat (Jute)	.50	Annexed
04.	Almirah/Box	1	



### LIST OF SPORTS MATERIAL/PER SCHOOL

Sl. No.	Name	Nos.	Specification
01.	Skipping Rope	10	
02.	Balls-Rubber/Tennis	10	
03.	Football	02	Annexed.
04.	Sewing Rope with tyre	06	
05.	Air Pump	01	
0 <b>6</b> .	Ring	06	
07.	Ludo	06-	To be decided

Note:- Hockey set is to be supplied for 168 schools- To be decided. of Ranchi District

#### **SPECIFICATION FOR LIBRARY BOOKS**

### A) Material & Size:

- be printed on good quality paper (not less than 70 gms).
- be easy to handle

### B) Printing & Production:

Type size be suitable (minimum 12 pt. Devnagari or equivalent for children, minimum 10 pt. Devnagari or equivalent for teachers)

may be hard bound with close/rexin cover.



## बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, बेलट्रान भवन, बेलीरोड, पटना-२३

बी.इ.पी. पत्रांकः

3282

पटन

दि० २६ ११ ९३

30

प्रेषकः

श्री एस. विजयराघवन, भा प्र.से. निदेशक,

सेवा में.

उप विकाश आयुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक, बिहार शिक्षा परियोजना, रांची/रोहतास/प० चम्पारण/मुजफ्फरपुर/सीतामढ़ी एवं चतरा। फादर अगस्टिन, जिला कार्यक्रम समन्वयक, बिहार शिक्षा परियोजना, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

विषय:-

बिहार शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में घंटी उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि बिहार शिक्षा परियोजना की कार्य योजना के अन्तर्गत जिले के प्राथमिक विद्यालयों में इनोभेटिव स्कूल सामग्री की आपूर्ति की जानी है। इसकी सूची आपके पास भेज दी गयी है एवं आपूर्ति की कार्रवाई भी की जा रही है।

्विद्यालय में आपूर्ति हेतु सामग्री के चयन के कम में तथा समय-समय पर जिले के पदाधिकारियों के द्वारा इस

बाँत का सुक्षाव दिया गया हैं कि प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय को एक घंटी की आपूर्ति की जाय।

अतः परियोजना के अन्तर्गत जिले के प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय को घंटी की आपूर्ति हेतु स्थानीय क्रय का अनुमोदन दिया जाता है। इस पर खर्च होनेवाली राशि का सामंजन इनोभेटिव स्कूल सामग्री शीर्ष के अन्तर्गत किया जायेगा। कृपया इस दिशा में शीध कार्रवाई की जाय एवं इसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को भी दी जाय।

विश्वासभाजन, ह०/-निदेशक, विहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना-२३

## बिहार शिक्षा परियोजना परिषद बेल्ट्रान भवन, शास्त्री नगर, पटना

पत्र संख्या:- बी.ई.पी.-

प्रशिक्षण ३१६७/पटना.

दिनांक-३.१२.९३

प्रेषक,

श्री एस. विजयराध्वन, भा.प्र.से. निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त-सह-जिला कार्यकम समन्वयक, राची/रोहनास/चतरा/मुजफ्फरपुर/सीतामढ़ी/बेतिया एवं फादर अमस्टिन, बिहार शिक्षा परियोजना, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर॥

विषय:- डायट के प्राचार्य की शक्तियों के सम्बन्ध में।

महोदय,

फादर अगस्टिन के प्रत्रांक-५४२ दिनांक- ३०.११.९३ के संदर्भ में कहना है कि इस संबंध में जो वित्तीय शक्तियां डायट के प्राचार्य को प्रदत्त की गई है उसकी एक प्रति आपके सहज संदर्भ हेतु इस पत्र वें साथ संलग्न की जा रही है।

संलगनकः- यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/-निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना।

स. सिंह २-१२-९३/

## Delegation of Power to Principal, DIETS under Bihar Education Project Council.

Iten	n of Expenditure.	Power of Principal, DIET
1.	Reimbursement of T.A.& conveyance : charges to officers and staffs.	Full power subject to the budget provision and norms fixed by BEP
2.	Electricity and water.	Full powers subject to budget provision.
3.	i) Freight charges.	-do-
	ii) Demurage/wharfage.	-do-
4.	Municipal Taxes.	-do-
5.	Post & Telegraph charges.	<b>-d</b> o-
6.	Printing & Binding.	Full powers upto Rs. 25,000/- in each case
7.	Stationary stores.	Full powers upto Rs. 500/- in each case.
8.	Telephone charges.	Full powers for payment of rental and call charges.
9.	Repair & maintenance of office	Rs. 2000/- (Rs. two thousand) per
	equipments & materials	annum.
10.	Salary & wages.	Full powers provided the appointment of the employee is approved by the Distr. Project Coordinator/Executive Committee.
11.	Purchase of Books and Journals (Both indigenous and foreign).	Subject to provisions and recommendations of Library Committee consisting of the Heads of
		the Divisions concerned and the Librarian.
12.	Expenditure on training programme/ workshops/Seminars etc.	Full powers subject to budget provision and norms fixed by the BEP
\ <mark>13</mark> .	Contingent Expenditure.	Full powers upto Rs. 3000/-
		(Rs. three thousand) per annum.

Sd/-

(S. Vijayaraghavan)
DIRECTOR,
BIHAR EDUCATION PROJECT COUNCIL,
PATNA.

### बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, बेल्ट्रॉन भवन, शास्त्रीनगर, पटना-२३

पत्रांक ३७१९ प्रेणक, दिनांक ५/३/९४

एस. विजयराघवन, भा.प्र.से. निदेशक

सेवा मे

उप विकास आयुक्त-सह-जिता कार्यकम समन्वयक, बिहार शिक्षा परियोजना, सीतामढ़ी/मुजफ्फरपुर/रांची/चतरा/पश्चिम चम्पारण/रोहतास फाटर अगस्टिन, जिता कार्यकम समन्वयक, बिहार शिक्षा परियोजना, जमशेटपुर प्रभारी पदाधिकारी, प्राथमिक औपचारिक शिक्षा, सभी बी.ई.पी. जिता

विषय:- वर्ष १९९३-९४ के अन्तर्गत नि:शुल्क पाठ्य-पुस्तकों के वितरण के सम्बन्ध में सूचनाओं का प्रेषण। महाशाय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अंकित करना है कि बिहार शिक्षा परियोजना की कार्य-योजना १९९३-९४ के अनुसार परियोजना जिलों में वर्ग-१ से वर्ग-५ तक के अनुसूचित जाति एवं/अनुसूचित जनजाति के छात्रों तथा सभी वर्ग के छात्राओं के बीच निःशुल्क पाठ्य पुरतकों का वितरण किया जा रहा है। पाठ्य पुस्तकों के वितरण के समुबन्ध । में सूचना कृपया संलग्न प्रपत्र में प्रत्येक माह भेजने का कष्ट करें।

विश्वासभाजन (एस. विजयसघवन) ह०/. निदेशक

### नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण सम्बन्धी सूचना प्रपत्र

### जिला का नाम

वर्ग का नाम	छात्र		छात्रा			योग	भाषा			योग_
	अनु. जाति	<del></del> अनु.	सामान्य	अनु.	अनु.		हिन्दी	उर्दू	अन्य	
	जाात	जन.	+अन्था	जा.	जन.				भाषा	
वर्ग-१		·								
वर्ग-२										
वर्ग-३										
वर्ग-४										
वर्ग-५ योग										·
योग										
L			l				<u> </u>		<u> </u>	L

प्रभारी पदाधिकारी का हस्ताक्षर

दिनांक

नोट: वितरण के पश्चात अवशेष पुस्तकम सेटों के सम्बन्ध में वर्गवार व्योरा भी कृपया साथ में संलग्न करें।

## बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् बेल्ट्रॉन भवन, शास्त्री नगर, पटना-८०० ०२३

पत्रांक ३८७० प्रेषक, दिनाक ३१.३.९४

आर. एस. सिंह, विशेष कार्य पदाधिकारी सेवा में.

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष
जिला कार्यकारिणी संमिति,
बिहार शिक्षा परियोजना,
चतरा
उप विकास आयुक्त-सहजिला कार्यक्रम समन्वयक,
बिहार शिक्षा परियोजना,
रांची/रोहतास/पश्चिम चंपारण/मुजफ्फरपुर/सीतामढ़ी
फादर अगस्टिन,
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर
प्रभारी पदाधिकारी,
प्राथमिक औपचारिक शिक्षा,
बिहार शिक्षा परियोजना,
(सभी परियोजना जिला)

विषय: चयनित विद्यालयों में न्यूनतम अधिगम स्तर की कार्य योजना के सफल संचालन के सम्बन्ध में। महाशय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि परियोजना जिलों में चलाए जा रहे न्यूनतम अधिगम स्तर (एम.एल.एल) की कार्य योजना की समीक्षा दिनांक २२/२३ मार्च, १९९४ को की गई। जिलों द्वारा प्रीटेस्टींग का कार्य संतोषजनक ढंग से किया गया है और परिणामों का विश्लेषण भी किया जा रहा है। किन्तु इस पूरे कार्यक्रम पर सम्यक रूप से सतत् ध्यान दिया जाना आवश्यक है। साथ ही कार्यक्रम की सफलता हेतु उक्त दो दिवसीय बैठक में जिलों से विचार विमर्श कर निम्नांकित सुझाव बिन्दु तैयार किए गए:-

- (१) वर्ष १९९४-९५ के लिए एम.एल.एल की कार्य-योजना सिर्फ वर्ग-१, २ एवं ३ में लागू किया जाय। एम. एल.एल पर आघारित पठन-पाठन का कार्य वर्ग-१ से वर्ग-५ तक संचालित किया जाय किन्तु इकाई परीक्षण सिर्फ वर्ग १,२ एवं ३ के छात्र-छात्राओं का लिया जाय। पोस्ट परीक्षण वर्ग १ से वर्ग ५ तक लिया जाय।
- (२)वर्ष १९९५-९६ के दौरान वर्ग ४ एवं ५ में भी इसका विस्तार किया जायेगा।
- (३) दक्षता संबंधी चार्ट सभी एम एल एल विद्यालयों में मुद्रण कराकर टांग दिया जाय।
- (४) प्रचलित पाठ्य पुस्तकों का सुधार एम.एल.एल के आधार पर करने की दिशा में पहल मुख्यालय द्वारा की जाय।
- (५) एम.एल.एल. पर आधारित वर्क-बुक बिहार शिक्षा परियोजना, पश्चिम चंपारण द्वारा ३० अप्रैल, १९९४, के पूर्व विकसित किया जायेगा।
- (६) एम एल एल पर आधारित शिक्षण कार्य शिक्षकों द्वारा किया जा रहा है या नहीं इसकी सतत् मूल्यांकन बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा किया जाय। इसके लिए चंयनित रिसोर्स पर्सन को विद्यालयों में जाने हेतु १५ अप्रैल, १९९४ तक रोस्टर तैयार कर कार्रवाई शुरू कर दी जाय। संबंधित रिसोर्स पर्सन को बिहार शिक्षा परियोजना के नियमानुसार भुगतान की कारवाई की जाय।
- (७) एम.एल.एल. विद्यालयों में वर्ग १ से वर्ग ३ तक के बच्चों का इकाई परीक्षण क्रमशः मार्च, मई, अगस्त एवं अक्टूबर में लिया जाय। पूर्व की भांति दिसम्बर में पोस्ट टेस्टींग वर्ग-१ से वर्ग-५ के लिए आयोजित किया जाय।
- (८) पोस्ट टेस्टींग के समय छात्र-छात्राओं की कोटि एवं लिंग के अनुसार सूचनाएँ भी एकत्रित की जाय जिसके अनुसार परिणामों का विश्लेषण भी किया जाय।
- (९) सभी जिलों में दक्ष शिक्षकों की मदद में एम.एल.एल. पर आधारित कोश्चन बैंक बनाया जाय जिसकी प्रति ३० जून, १९९४ तक मुख्यालय को भेजी जाय।
- (१०) एम एल एल. विद्यालयों में शिक्षक के रिक्त होनेवाले पद को प्राथमिकता के आधार पर भर दिया जाय।
- (११) इस बात को पुन: दुहराई जा रही है कि एम.एल.एल. विद्यालयों के शिक्षकों को समान्यतया स्थानान्तरण नहीं किया जाय।

अनुरोध करना है कि कृपया उपर्युक्त बिन्दुओं को मद्देनजर एम.एल.एल. की कार्य योजना को सुचारू रूप से चलाने हेत् अपने स्तर से मार्गदर्शन एवं कार्रवाई करने का कष्ट कीं।

> विश्वासभाजन, ह०/-(आर. एस. सिंह) विशेष कार्य पदाधिकारी

#### **CHAPTER-IV**

### Delegation of power to SPD & DSPC

Clause 47 of the memorandum of association has defined functions and powers of the State Project Director which is as under -

The State Project Director shall be the Principal Executive Officer of the Parishad and shall be responsible for proper administration of the affairs and funds of the Parishad and implementation of various activities of the Pariyojna in a mission made under the directions and guidance of the Chairman of the Executive Committee. For the effective discharge of his function he shall have powers to:

- a) Constitute Steering Group for each of the programme components and functional areas.
- b) Constitute a Task Force, comprising heads of the Steering Groups which would function as a cohesive team for achievement of the objects of the Pariyojna.
- c) Prescribe the duties of all officers and staff of the Parihsad/
- d) Exercise such supervision and disciplinary control as may be necessary.
- e) Coordinate and exercise general supervision over the activities of the Parishad including its branches and units
- f) Conduct meetings of the Parishad and its Executive Committee and keep a record of proceedings of these meetings in accordance with these Rules and
- g) Discharge such other functions as may be assigned to him by the Executive Committee in furthereance of the objects of the Parishad.

The powers as defined above are not exhaustive. It is, therefore, considered necessary to delegate the following financial powers by the Executive Committee in respect of common services and general management activities:-

Items of expenditure Powers of State **Project Director**  Power of District Programme

Coordinator

1. Advertisement charges.

Full Powers Full powers subject to

i) prior approval of State

Project Officer.

ii) Budget provision

iii) Guideline issued by the State Govt, from

time to time.

2. Conveyance hire

i) Reimbursement of co- to the conditions, nveyance charges to officers and staff.

Full power

rates & limits approved by Executive

Committee time from time to time.

subject Full power sub

ject to the conditions, rates & limits approved

by the Executive Committee from time

to time.

ii) Hire of Taxis.

Full powers. Subject to budget provision and approval of Chairman in anticipation of finance Com-

mittee.

3. Electricity and water.

**Full Powers** 

Full powers.

4. i) Freight charges.

-do-

-do-

Remarks: Air lifting of stores should be resorted to in case of extrems urgency.

ii. Demurage/wharfage.

5. Insurance for building and electricity.

6. Furniture and fixture purchase including air conditionars fans, heater, collers.

Full powers. Full powers.

-do--do-

Full power, subject

Full power upto Rs.

to budget

10,000/- in case subject to

provision. budget provision. 7. Legal charges.

Full power

Upto Rs. 2500/- in each case.

8. Motor vehicles.

i) Purchase

Full power, subject to budget provision.

ii) Repair and maintenance

Full power

Full power.

9. Municipal taxes and and rates.

Full power

Full power.

10. Post and Telegraph charges.

Full power

Full power.

11. Printing and binding

Full power

Full power

12 Hiring of accomodations and rent.

Full power for hiring of building for office accommodation/guest house. SPD.

Full power for payment of rent of building hired with the approval of

Remarks: No building will be hired unless

- i. Rent is certified as reasonable by a committee of senior officers including an Engineer reported to Executive Committee
- ii. Area is approved by Executive Committee.
- iii. Lease will not exceed 5 years.
- iv. Lease deed/agreement are in accordance with prevalent law.
- v. All cases involving rental of Rs. 5 lakhs per annum

13. Staff paid from contigencies.

Powers upto three months Powers upto six months. in each case

> Remarks: At the rates notified by the local administration.

14. Stationary stores.

Full powers. Upto Rs. 10,000/- in each

case.

15. Stores required for working of the Parishad.

Full power

Upto 10,000/- in each case.

Subject to budget provision,

be required purchase beyond

Rs. 10,000/-

prior approval of SPD will

Full powers for payment of

16. Office equipment inc-Full power. uding typewriters, el- subject to budget ectronic or mannual provision. intercom equipment, calculators, electronic Stencil

Cutters, photocopier, Franking machines, dictaphones, filing and indexing systems etc. (exc-

luding computers)

17. Telephone and Telex Charges.

Full powers including sanctioning and installation of

ice telephones.

rental and call charges. residential and off-

Remarks: The call charges for residential telephones will be within the limits prescribed by the

Executive Committee

ance of office equipments, air conditionars.

18. Repair and mainten- Full powers. Full powers in respect of agreement approved by the State Project Director, Rs. 10,000/- in other case (per annum).

> Remarks: Full powers where maintenance is entrusted to the same party who originally installed/supplied the equipment.

19. Unifors and liveries.

Full powers Full powers.

Remarks: The general instructions issued by the

Govt. of Bihar will be followed

20. i. Purchase of comput-Full powers upto ers, printers and otherRs. 5 lakhs in each computer hardware. case.

ii. Maintenance.

Full powers. Full power, upto

Rs. 10,000/- in each case.

iii. Computer Stationary, peripherals, floppy dis., tapes etc.

-do-

-do-

21. Approval of drawing, (i) Full powers designs, estimates, specifications, tender, extra/substituted/derived to the building and items and all other matt- works committee. ers connected with the execution of works including administrative approval accord of financial sanctions, purchase.

upto Rs. 5 lakhs without refrence (b) Full powers in case of works. exceeding Rs. 25 la-

khs on the recommendations of building and works coii The tender procedure mmittee. These cashire/repair of stores, toolses will be reported to and plants and hiring of the Finance Commi-

Committee.

daily rates staff for works ttee/Executive

C. Prior approval of the Finance Committee will be necessary in case of works exceeding Rs. 25 lakhs.

22. Grants of extension of time for completion of works and waiver of liquidated damages.

purposes.

Full powers. -

Remarks: Schedule i of rates prescribed by the PWD will be followed.

ii. The tender procedure followed by PWD will be adopted.

iii For any other items relating to works not copered hereunder procedure followed in PWD will be adopted.

23 Advance payments to contractors.

Full powers. -

24. Repayment of Earnest money/security deposits

Full powers. -

25. Irrecoverable losses Upto Rs. 25,000/of stores or of Parishad for losses not due money.

to theft, fraud or negligence, Rs. 5.000/- in other

-Remarks: Where the loss discloses a defect in rule of procedure, the matter will be reported to the Executive Committee in the case of loss

cases.

on account of serious negligence, deciplinary action will be taken and reported to **Executive Committee** 

26 Condemnation of motor vehicle and motor cycle.

Full powers in respected of any one vehicle, subject to the lives of vehicles in terms of distance run (in kilometrs) and length of use (in year) whichever is reached later

Remarks: 1. The lives have been fixed as under.

Type of vehicle

KM.

i Heavy commercial

3,00,000

motor vehicle.

ii. Motor vehicles with 1,50,000

less than 18 HP.

iii. Motor cycles with

80.000

engines of 3.5 HP and above.

iv. Motor cycles.

60,000

2 The disposal will be decided by the Committee constituted for the purpose, in which an automobile expert will be associated.

27. Bicycles. Full powers. Full powers. 28. Advance in connect- Full powers. Full powers. ion with natural calamities 29.Festival advance Full powers Full powers. 30. Advances in conn-Full powers Full powers. ection with transfer and retirements etc. Grant of advance under Government of Bihar Rules. i) Advances in connec-Full Full tion with official powers-do-**Powers** tours. ii) Advance in conne-Full Full -doction with atte-**Power** Power ndance at conference, symposia etc. Advance in lieu of Full Full -doleave salary

Lump-sum advance to provide immedia- te financial relief to families of employe- es, who die while in service.	Full Powers	Upto a maximum of Rs. 1500/-in each	do
Grant of permanent advance imprest	Full powers	Full powers	
Temporary depart- mental advances	Full Powers	Full Powers	Upto Rs. 10,000 in each case
Grant of daily allowance on tour/field work in relaxation of rules.	Full Powers	-	Guidelines for this purpose will be laid down by the Executive Committee.
Permission for Air Travel	Full Powers	-	Subject to guidelines prescribed by State govt
Payment of road mile- age for travel between places connected by rail or taxi fare in lieu of road mileage from point of duty to railway station/airport or vice- versa.	Full Powers	Full Powers	Subject to rules laid down by State government or as per terms and condition of dipu- tation as the case may be
Payment of TA/DA incidental expenses to members of the Institute, its Executive Committee and such other persons as are invited/authorised to attend specific assignment on behalf of the parishad including	Full Powers		

Participation in international conferences, seminars and symposia in India.

Invetments in	Full Powers	<b>.</b>	In nationali only where the accounts are man	e Bank
(a) Call and short term deposits	Full Powers	• : ;	2) A report of made shall be Executive Co	
Execution of documents	Full	Full	Subject to the	general terms and
relating to contracts	<b>Powers</b>	Powers	conditions and	d form of docu-
for works, supplies.			ments to be la	id down by the
hiring of residential or	• 1		Executive Cor	mmittee.
office accommodation	45 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	,	.* · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
maintenance agreements,	7.			
service contracts with the				e <sub>y</sub>
employees, agreements	1	e.		
relating to advances.			*	
Execution of documents	Full	Full	do	
relating to sale, endorse-	Powers	Powers		and the state of t
ment transfer, negotiati-			•	
on, etc. of securities st- anding in the name of		. *		
the parishad.				
Obtaining security dep-	Full	Full		
osit from Staff handling	<b>Powers</b>	Powers		
cash/stores and exemp-				
ting a permanent mem-				
ber of staff from furni-		,		
shing security deposit.				
Visiting fellows	Full Powers with the approval of Executive Committee.		down by the	nay be Sub- and procedures laid- Executive Committee e in consonance with the guide-
			lines issued b	by the University Grants Commme to time, Central Universities.

In cases where it is not possible to obtain prior approval of the Executive Committee's Chairman may offer the fellowship subject to Executive Committee's approval in due course

#### FOR ACADEMIC PROGRAMMES

Items of Expenditure	Powers of State Project Director	Powers of District Programme Coordinater	Remarks	
1.Equipment and materials	Up to Rs. 5 lakhs in each case subject to budget provision	Up to Rs. 10,000/= in each case For amount Exceeding Rs. 10,000/- prior approval S.P.D. will be required. In both the case this expenditure will be subject to Budget provision.		
2. Honoraria/Fee to outside experts resource persons and specialists for various academic programmes including media and communication.	Full Powers	powers approve	to the rates ed by the ve Committee.	
3 Repairs and mainte- nance of equipment	Full Powers	Full powers in respect of agreement approved by Director; up to Rs. 10,000 in other cases	Full powers where maintenance is entrusted to the same party which originally supplied/installed the equipment; subject to invitation of tenders in other (perannum)	case
4. Hiring the services and facilities of outside agencies (including Government departments, autonomous organisations and un-	Full Powers	Full Powers for video/ audio prog- rammes.	Subject to Budget provision and recommendation of screening committee to be set up by the exsecutive committee	

iversities) for studio production facility including hiring of equipment, like cameras, CCU lights, etc, and for production of films.

5. Payment of copyright Full Powers charges for video/Audio programmes and print Material

6. Conveyance and Incidential expenses in connection with production of programme.

7. Purchase of books

and journals (Both

indigenous and fo-

**Full Powers** 

Upto Rs. 5,000/- for each video Rs. 2000 for each audio

**Full Powers** 

Full Powers

On the recommendation of a standing Comittee/screening comittee constitued for the purpose.

The expenditure will be within the ceilling for approval each. programme. programme. Subject to Budget provision and recommendations library committee consisting of Heads of the Divisions concerned and the Librarian.

8. Special equipment and furniture and fittings for the library, including micro filming.

**Full Powers** 

Full powers upto Rs. 10000 each case: for amount Rs. 10,000/- prior approval of SPD will be required In both these cases the expenditure will be subject to budget provision. 34

do

9. Material for packing, Full binding, indexing library cards, special registers, paper, art card, envelopes ets.

powers case.

Full Powers up to Rs. 10,000 in each

10. Disseination of doc- Full Powers uments both in India and abroad.

**Full Powers** 

- 11. Outside printing including designing and binding.
- (a) Empanelment of **Printers**

**Full Powers** 

**Full Powers** for empanel ment and fixing of rates.

35

# Delegation of Financial Power to Officer-in-charge Administration/Officer On Special Duty at district level.

	Items of Expenditure		Delegation of Power
01.	Conveyance hire		Full power subject to condi- tions rates and limits appro- ved by the Executive Comm- ittee from time to time.
02.	Reimbursement of Conveyance charges to Officers and staff.	-do-	
03.	Hire of Taxies.		Subject to Budget Provision and approval of Chairman.
04.	Electricity and water.		Full Power
05.	Freight charges.		-do-
06.	Demurrage/ wharfage.		-dó-
07	Insurance for building furniture.		-do-
08.	Legal charges		Upto Rs. 2500/- in each case.
09.	Repair and maintenance of vehicle.		Full power upto Rs. 15,000/-
10.	Municipal Taxes and rates.		Full power.
11.	Post and Telegraph charges.		Full power.
12.	Printing and binding.		Full power.

- Hiring of accommodation and rent.
- 4. Purchase of stationary.
- Stores required for working of Parishad.
- 6. Telephone and Telex charges.
- Repair and maintenance of office equipment, air conditioners.
- Uniform and liveries.
- 9. Maintenance of Computer,
  Printers etc
- O. Purchase of Computer, stationary, Peripherals floppy disc. tapes etc.
- Repayment of Earnest money, ecurity deposit.
- 2. Festival advance.
- Payment of monthly salary and wages.
- I. T.A. & D.A. of Class III and lass IV staff.

Full power for payment of rent of building hired with the approval of S.P.D. Full power upto Rs. 10,000/-in each provided purchase procedure laid down by BSPP has been followed.

-do-

Full power for payment of rental and call charges of BSPP office. Call charges for residential Telephone will not be within the delegated power.

Full power where maintenance entrustd to the same party who originally installed/ supplied the equipment.
Full power. The general instructions issued by the Govt. of Bihar will be followed.
Full power upto Rs. 10,000/-

in each case.

-do-Full power subject to approval of State Project Full power.

Full power to disburse subject to condition that the salary and wages already fixed by competent authority.

Full power for sanction of Tour and payment of the bill.

### Project Officer/Programme Officer/Component In-charge

For undertaking the activity and the concerned component under the Action Plan duly approved by the Executive Committee after approval of the District Task Force/ State Level Task Force as the case may be

Full power to sanction the expenses as per details approved by the DLO/SLO Task Force.

#### Note:

For any purchases, the concerned I/C will have no powers to directly purchase himself, but place requisition to the BEP office. If need arises in exceptional circumstances, Chairman, Ex-Committees' in the district units and Directors' SLO respectively approval shall be taken for such direct purchase.

#### PRINCIPAL DIETS UNDER BIHAR **EDUCATION PROJECT COUNCIL.**

Item of Expenditure.

Power of Principal

DIET

01. Reimbursement of T.A. within the State & Convenyance provision and norms fixed by BEP. charges to Officers and staff.

: Full power subject to the budget

02. Electricity and water.

Full powers subject to budget

provision.

03. i) Freight charges.

-do-

ii) Demurrage/Wharfage.

-do-

04. Municipal Taxes.

-do-

05. Post & Telegraph charges.

-do-

06. Printing & Binding.

Full powers upto Rs. 25,000/-

in each case.

07. Stationary stores.

Full powers upto Rs. 5000/-

in each case.

08. Telephone charges.

Full powers for payment of rental

and call charges.

09. Repair & maintenance of office

Rs. 2000/- (Rs. two thousand)

per annum.

10. Salary and Wages.

Full powers provided the app-

ointment of the employee

is approved by the District Project Co-ordinator/Executive Comm-

ittee.

11. Purchase of Books and Journals (both indigenous and foreign).

Subject to provisions and recommendations of Library Committee consisting of the Heads of the Divisions concerned and the Librarian.

 Expenditure on training programme/ workshops/ Seminars etc. Full powers subject to budget provision and norms fixed by the BEP.

13. Contingent Expenditure.

Full powers upto Rs. 3000/-(Rs. three thousand) per annum.

# प्राथमिक अनौपचारिक शिक्षा

# बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् बेल्ट्रॉन भवन, शास्त्री नगर, पटना-८०००२३

बी.ई.पी. पत्रांकः ३३०४

पटना दि. २८.१२.९३

प्रेषक:

श्री एस. विजयराघवन, भा.प्र.से. निदेशक ।

नेवा में.

उप विकास आयुक्त-सह-जिला कार्यकम समन्वयक, बिहार शिक्षा परियोजना, रांची/रोहतास/प. चम्पारण/सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर/पू. सिंहभूम, चतरा फादर अगस्टिन, बिहार शिक्षा परियोजना, पूर्वी. सिंहभूम।

विषय:- अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों का १२ दिवसीय एवं १० दिवसीय प्रिशक्षण कार्यक्रम के संबंध में।

हाशाय,

अनौपचारिक शिक्षा केन्दों के लिए प्रथम वर्ष में अनुदेशकों को तीस दिनों का प्रशिक्षण तीन चरणों में देने का प्रावधान रखा गया है। प्रथम चरण १२ दिवसीय होता है जो पूर्व सेवा प्रशिक्षण है। द्वितीय चरण १० दिवसीय होता है जो प्रथम चरण के लगभग दो या तीन माह बाद आयोजित किया जाता है। व्रावधान चरण ८ दिवसीय होता जो द्वितीय चरण के तीन महीने बाद आयोजित किया जाता है। प्रथम वर्ष के लिए आयोजित किये जाने वाले १२ दिवसीय प्रथमचरण का कार्यक्रम और १० दिवसीय द्वितीय चरण प्रशिक्षण कार्यक्रम संलग्न कर आपको भेजा जा रहा है। कृपया कार्यक्रम के अनुसार अनुदेशकों का प्रशिक्षण पूर्ण किया जाय। प्रशिक्षण पूर्णतः आवासीय होता है और उसकी गुणवत्ता हर स्तर पर कायम रखी जाय। कृपया इसे सुनिश्चित करेगें।

प्रथम वर्ष के तृतीय चरण प्रशिक्षण ८ दिवसीय का कार्यक्रम एवं द्वितीय वर्ष में आयोजित किये

जाने वाले २० दिवसीय प्रशिक्षण कार्यकम शीघ्र तैयार कर भेज दिया जायेगा।

जिन जिलो में जिला साधन एकक कार्यरत है उन जिलों में अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों का प्रशिक्षण आर यू. के माध्यम से सुनिश्चित किया जाय। इस संवध में निर्देश समय-समय पर आपको दिया जाता रहा है। कृष उपर्युक्त आलोक में कार्रवाई की जाय और प्रशिक्षण करवाकर उसकी सूची नैयार कर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् उपलब्ध कराई जाय।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नकः- प्रशिक्षण कार्यक्रम दो।

निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् पटना-२३

ज्ञापांकः बी.ई.पी. पत्रांक ३३०४

पटना दि. <u>२८</u>१२.९३

5.6

प्रतिलिपि सभी अनुलग्नकों के साथ जिला साधन एकक:-

- १- समन्वयक आश्रम बोधगया।
- २- रीड बेतिया, प. चम्पारण।
- ३-श्रम भारती, खादीग्राम, पो. खादीग्राम, जिला-जमुई।
- ४- नवभारत जागृति केन्द्र, चौपारण बहेड़ा, जिला-हजारीबाग
- ५- मंथन खगौल, हॉस्पीटल रोड, खगौल, जिला-पटना।
- ६- इन्सान स्कूल किसनगंज, जिला-किसनगंज।
- ७- जेवियर समाज सेवा संस्थान, पुरूलिया रोड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रव हेतु प्रेषित।

ह०/-निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना-२३

## प्रथम वर्ष बारह दिवसीय अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक प्रशिक्षण का कार्यक्रम

ांस	प्रथम सत्र ८ बजे से १०.३० बजे तक (२.३० घंटा)	द्वितीय सत्र १०.३० से १.०० बजे तक (२.३० घंटा)	तृतीय सत्र २.३० बजे से ४.३० तक (२ घंटा)	चतुर्थ सत्र ४.३० से ५.३० तक (१ घंटा)	पंचम सत्र ७.०० बजे से ८.३० तक (१.३० घंटा)
म दिवस	पंजीयन एवं परिचय सत्र का शुभारम्भ, प्रशिक्षण का उद्देश्य	अनौपचारिक शिक्षा की अवधारण योजना की - प्रारम्भिक जानकारी। अनुदेशक संदर्शिका भाग-क का समूह में पठन, मुद्दे उठाना परिचर्चा। भाग-ख का समूह में पठन, मुद्दे उठाना परिचर्चा	भाग-क पर समूह में चर्चा करना। भाग-ख पर समूह में चर्चा एवं प्रतिवेदन तैयार करना।	गृह कार्य देना	सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन
य दिवस-	प्रथम दिन तैयार किए गए प्रतिवेदनों की प्रस्तुती एवं उन पर सामान्य परिचर्चा। गृह कार्य एकत्रित करना, सन्दर्भ व्यकि- तयों द्वारा जांचना।	अनुदेशक संदर्शिका भाग-ग का समूह में पठन, सम्बं- धित, मुद्दा उठाना, परिचर्चा भाग-घ का समूह में पठन सम्बंधित मुद्दे उठाना, परिचर्चा।	चर्चा एवं प्रतिवेदन		प्रदर्शन पाठ का प्रस्तुतीकरण
दिवस	प्रथम दिन तैयार किए गए प्रतिवेदनों की प्रस्तुती एवं उन पर सामान्य परिचर्चा। गृह कार्य एकत्रित करना, सन्दर्भ व्यक्नित	भाग-च का समूह में पठन, संबंधित मुद्दे उठाना, परिचर्चा। भाग-छ का समूह में पठन, सम्बंधित मुद्दे उठाना, परिचर्चा।	भाग-च पर समूह में चर्चा एवं प्रतिवेदन तैयार करना। भाग-छ पर समूह चर्चा एवं प्रतिवेदन तैयार करना।	विद्यालय स्वास्थ्य कार्यकम।	सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन वार्ता/ सम्बाद।
देवस	तीसरे दिन तैयार किए गए प्रतिवेदन की प्रस्तुती एवं उन	भाग-ज का समूह में पठन सम्बंधित मुद्दे उठाना, परिचर्चा वर्ग-१	भाग-ज पर समूह में परिचर्चा एवं प्रतिवेदन तैयार करना		प्रदर्शन पाठ का प्रस्तुतीकरण।

	- 32 6- 3 6			r
पंचम दिव	स चौथे दिन तैयार किए गए प्रतिवेदनों की प्रस्तुती एवं उन पर सामान्य परिचर्चा गृह कार्य एकत्रित करना, सन्दर्भ व्यक्तियों द्वाग जॉचना।	भाग-झ का समूह में पठन सम्बंधित मुद्दे उठाना, परिचर्चा। वर्ग-१-२ से सम्बंधित भाषाई दक्षताओं की जानकारी एवं उनके पढ़ाने के तरीके की जानकारी।	भाग-झ पर समूह में जनसंख्या शिक्षा वात चर्चा एवं प्रतिवेदन /सं वर्ग-१-२ से संबंधित भाषाई क्षमताओं के आधार पर पाठ्य पुस्तक का अभ्ययन।	गि/सम्बाद बोधन।
षष्ट्म दिव	वस- पांचवे दिन तैयार किए गए प्रतिवेदनों की प्रस- तुति एवं उन पर सा- मान्य परिचर्चा। गृह कार्य एकत्रित करना, सन्दर्भ व्यक्तियों द्वारा जॉचना।	वर्ग-३ से सम्बंधित भाषाई क्षमताओं की जानकारी देना एवं उनकी पठन विधि पर चर्चा करना।	वर्ग-३ में उल्लिखित गृह कार्य देना प्रदश् क्षमताओं के आधार पंचायती राज पर पाठ्य पुस्तक का अध्ययन।	नि पाठ।
सप्तम दिव	वस- छठे दिन तैयार किए गये प्रतिवेदनों का प्रस्तुती- करण एवं उन पर सामान्य परिचर्चा। गृह कार्य एकत्रित करना एव सन्दर्भ व्यक्तियों द्वारा जॉचना।	मुहे उठाना, परिचर्चा। वर्ग-१-२ से सम्बंधित गणित की क्षमताओं की जानकारी देना एवं पाठन विधि पर चर्चा करना।	प्रतिवेदन तैयार करना - सास्य वर्ग-१-२ से सम्बंधित कार्य गणित की क्षमताओं के अधार पर पाठ्य आये पुस्तक का अध्ययन।	
अष्ट्म वि	देवस-सातवें दिन तैयार किए गए प्रतिवेदनों का पुस्तुतीकरण एवं उन पर सामान्य परिचर्चा। गृह कार्य एकत्रित करना एवं सन्दर्भ व्यक्तियों द्वारा जांचना।	वर्ग-३ से सम्बंधित गणित की क्षमताओं की जानकारी एवं उनकी पाठन-विधि पर चर्चा।	वर्ग तीन में उल्लिखित गृह कार्य देना। श्वमताओं के आधार पर गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्ययन।	वार्ता।

भाग-ठ पर समूह में गृह कार्य देना प्रदर्शन पाठ चर्चा एवं प्रतिवेदन

भाग-ठ का समूह में पठन सम्बंधित मुद्दे

नवम् दिवस- आठवें दिन तैयार किए गए प्रनिवेदनों दसवां दिवस नवें दिन तैयार किए गए प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण एवं उन पर सामान्य परि-चर्चा। गृह कार्य एकत्रित करना एवं सन्दर्भ्य व्यक्तियों द्वारा जांचना।

वर्ग-३ से सम्बंधित विज्ञान की क्षमताओं की जानकारी देना एवं पाठन विधि पर चर्चा। वर्ग-३ से सम्बंधित विज्ञान की क्षमताओं के आधार पर पाठ्य पुस्तक का अध्ययन।

गृह कार्य देना।

एकादश दिवस दसवें दिन तैयार किए गए प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण एवं उन पर सामान्य परिचर्चा। गृह कार्य एकत्रित करना एवं सन्दर्भ्य व्यक्तियों द्वारा जांचना। भाग-ड का समूह में पठन, संबंधित मुद्दे उठाना, परि-चर्चा। इकाई १-३ में समाज से सम्बंधित दक्षताओं की जानकारी एवं पाठन विधि पर चर्चा। भाग-ड पर समूह में गृह कार्य देना। चर्चा एवं प्रतिवेदन तैयार करना। ईकाई १-३ में समाज अध्ययन से सम्बंधित दक्षताओं के आधार पर पाठ्य पुस्तक का अध्ययन।

द्वादश दिवस ग्यारहवें दिन नैयार किए गए प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण एवं उन पर सामान्य परिचर्चा। गृह कार्य एकत्रित करना एवं सन्दर्भ्य व्यक्तियों द्वारा जांचना। भाग-ढ का समूह में पठन, मुद्दे उठाना, समूह चर्चा एवं प्रतिवेदन तैयार करना। प्रतिवेदनों का प्रस्तुती- समापन समारोह। करण, सामान्य परिचर्चा।

### प्रथम वर्ष अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक प्रशिक्षण द्वितीय दसदिवसीय का कार्यक्रम

प्रथम सत्र ८ बजे से १०.३० बजे तक (समय २.३० घंटा।) द्वितीयं सत्र १०.३० से १.०० वजे तक (समय-२.३० घंटा।) ततीय सत्र २.३० से ४.३० तक (समय २ घंटे।)

चतुर्थ सत्र ४:३० से ५.३० तक (समय-१ घंटा।) पंचम सत्र ७.०० बजे से ८.३० तक (समय १ घंटा।)

पंजीकरण, उद्घाटन-प्रथम दिवस परिचय, उद्देश्य कार्यक्रम पर चर्चा।

अनुदेशक संदर्शिका भाग-१-६ पर सामान्य -परिचर्चा और उसके अनुसार केन्द्र संचालन एवं शिक्षण से सम्बंधित विभिन्न मुद्दे उठाना समस्-याओं का संकलन एवं उसका समाधान।

संकलित समस्याओं पर परिचर्चा एवं एवं समाधान दृढना एवं रिनोर्ट तैयार करना समृह परिचर्चा तैयार करना। द्रारा।

भाषा, गणित एवं पर्यावरण का शिक्षण से संबंधित कठिन बिन्दुओं की सूची

सांस्कृतिक कार्यक्रम।

द्वितीय दिवस- प्रतिवेदन की प्रस्तुती रिपोर्ट पर चर्चा परि-वर्चा के आधार पर रिपोर्ट में यथास्थान परिशोधन करना।

अनुदेशक संदर्शिका भाग -७-१२से संबंधित मुख्य-मुद्दे पूर्व शिक्षण अनुभवों के आधार पर उठाना-उस पर चर्चा करना-समस्याएं एवं समाधान।

समस्याओं एवं मुद्दी पर विषयवार समूह में चर्चा करना और प्रतिवेदन तैयार करना ।

भाषा शिक्षण से संबंधित पाठ तैयार करने के लिए मुख्य विन्दुओं पर चर्चा तैयार करमा।

सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं संवाद।

तृतिय दिवस प्रदर्शन पाठ अनौ-पचारिक शिक्षा केन्द्र में। पाठ पर आधारित परिचर्चा एवं रिपोर्ट।

रिपोर्ट की प्रस्तुती एवं उस पर चर्चा करना। वर्ग-१-२ के समतुल्य भाष से सम्बंधित दक्ष-ताओं का शिक्षण एवं मूल्यांकण।

वर्ग-१-२ के सम-धित दक्षताओं का शिक्षण एवं मुल्यांकण।

गणित से सम्बंधित तुल्य गणित से संबं- दक्षता पर आश्वारित पाठ योजना तैयार करना।

चेतना सत्र, वाद विवाद एवं सांस्-कृतिक कार्यक्रम का आयोजन।

चतर्थ दिवस प्रदर्शन पाठ-अनौप-चारिक केन्द्रों में था। प्रशिक्षण स्थल में सैमुलेशन द्वारा पाठ्य की प्रस्तृति एवं उस पर चर्चा

रिपोर्ट की प्रस्तुति एवं चर्चा करना। वर्ग-१-२ से सम्बंधित विज्ञान की दक्षताओं का शिक्षण विधि एवं मुल्यांकण-

वर्ग-१-२ से सम्ब श्वित भाषा, गणित एवं विज्ञान से सम्बंधित दक्षताओं के आधार पर पाठ्य विश्लेषण।

विज्ञान से सम्बंधित-दक्षता आधारित पाठ योजना तैयार करना।

चेतना सत्र नुक्कड़ नाटक का आयोजन कैसे करें। नाटक प्रहसन आदि की प्रस्तती।

सप्तम् दिवस वर्ग-४ समतुल्य भाषाई- वर्ग-४ के समतुल्य गणि--दक्षताओं का शिक्षण विधि एवं मुल्यांकण प्रकिया-पाठ्यपुस्तक के पाठों का विश्ले-षण के आगर पर।

तीय दक्षताओं का शिक्षण -विधि एवं मुल्यांकण प्रकिया

भषा और गणित से भाषा एवं गणित से सांस्कृतिक कार्यकम। संबंधित वर्ग-४ के संबंधित पाठ योजना समतुल्य दक्षताओं तैयार करना-वैयक्तिक का शिक्षण हेत् पाठ कार्य। का विश्लेषण करना एवं मूल्यांकन प्रश्न तैयार करना समूहों में।

अष्टम दिवस- वर्ग-४ के समतुल्य पर्यावरण अध्ययन से-सम्बंधित दक्षताओं का शिक्षण विधि एवं मुल्यांकन पाठ का विश्लेषण।

व्यवहारिक पाठ का प्रदर्शन दक्षता आधारित सैम्युलेशन द्वारा-प्रदर्शन-के आधार पर परिचर्या करना एवं रिपोर्ट तैयार करना

विज्ञान से सम्बंधित प्रश्न तैयार करना।

बच्चों की कमजोरियों चेतना सत्र का पता लगाने हेत पाठ आधारित गणित एवं भाषा विषय से संबंधित प्रश्न तैयार करना-समृह में।

प्रश्नों की प्रस्तुति एवं नवम दिवस उस पर परिचर्चा

निदानात्मक जांच एवं उपचारात्मक शिक्षण का महत्व-विषय आधा-रित उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना।

भाषा, गणित एवं -पर्यावरण अध्ययन से सम्बंधित शिक्षण शिक्षण से संम्बंधित उपादान (कम लागत शैक्षिक खेलों का का) की तैयारी समृहों में चर्चा।

भाषा, गणित एवं चंतना सत्र पर्यावरण विषय के आयोजन सूची तैयार करना वैयक्ति।

दसम दिवस अनवरत मूल्यांकण, व्यापक मुल्यांकण शिक्षण के साथ-साथ चलने वाली प्रकिया इसका महत्व स्पष्ट करना दक्षताओं की

संप्राप्ति का संदर्भ।

प्रत्येक सत्र के अन्त में छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करना एवं मूल्यांकन आंकड़ों का संधारण प्रकिया एवं-विधि स्पष्ट करना।

समापन समारोह।

# बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, बेलट्रॉन भवन, बेलीरोड, पटना-२३

बी.ई.पी. पत्रांक औप. पत्रांकः ३८२१

पटना दि. <u>२१</u>.३.९४

23

प्रेषक:

श्री एस. विजयराघवन, भा प्र.से. निदेशक।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त-सह-जिला कार्यकम समन्वयक, बिहार शिक्षा परियोजना, रांची, प० चम्पारण, रोहतास, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, चतरा एवं पूर्वी सिंहभूम।

विषय:- बिहार शिक्षा परियोजना शिक्षा के अन्तर्गत अनौपचारिक्र शिक्षा के सर्वोत्तम केन्द्रों को पुरस्कार योजना। महाशय

वर्ष ९३-९४ में बिहार शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत संचालित किये जा रहे अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में से प्रत्येक १०० केन्द्रों पर एक सर्वोत्तम केन्द्र को पुरस्कृत करने की योजना का अनुमोदन किया गया था। प्रति केन्द्र पुरस्कार की राशि ५००/- रूपये मात्र निर्धारित की गई है। आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त योजना को कार्यान्वित करने के लिए प्रत्येक १०० केन्द्र में से स्वीत्तम केन्द्र का चयन निम्नांकित मापदण्डों के आधार पर कर ले और जिला स्तर पर समारोह का आयोजन कर सर्वोत्तम केन्द्र को पुरस्कृत करें। चयन का आधार निम्न प्रकार होगा:-

- १. अनुदेशक द्रारा नियमित एवं निष्ठापूर्वक केन्द्र का संचालन।
- २. केन्द्र में सुविधा वंचित वर्ग के बच्चों की संख्या विशेषकर बालिकाओं की संख्या
- केन्द्र में बच्चों के सतप्रतिशत उपस्थित
- ४. केन्द्र में बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि का स्तर (न्यूनतम अधिगम स्तर) की सम्प्राप्ति
- ५. केन्द्र में आयोजित अन्य कार्यकलाप
- अनुदेशक द्वारा लोक भागीदारी हेतु आयोजित अन्य कार्यकलाप।
   पुरस्कार का विवरण
  - १. केन्द्र अनुदेशक को एक हिन्दी शब्द कोष
  - २. केन्द्र अनुदेशक को एक अंगवस्त्रम (खादी सिल्क)
  - ३. केन्द्र के लिए खेल सामग्री
  - ४. केन्द्रों के लिए मनोरंजक बालोपयोगी पुस्तकों का एक सेट
  - ५. अन्यान्य स्थानीय आवश्यकता पर आधारित । कृपया उपरोक्त आलोक में कार्रवाई करेगें।

ह०/-निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना-२३

# बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, बेलट्रॅन भवन, बेलीरोड, पटना-२३

बी.ई.पी.

अनौप. पत्रांकः ३८३७

पटना दि. २३.३.९४

प्रेषकः

श्री एस. विजयराधवन, भा प्र.से.

निदेशक ।

सेवा में,

श्री अमृत लाल मीण

उप विकास आयुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,

बिहार शिक्षा परियोजना, सीतामढी।

विषय:-

स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों को चलाने के लिए निर्धारित मापदंड।

महाशय,

उपर्युक्त विषय से सम्बंधित आपका पत्रांक ५८० दिनांक १३ मार्च, १९९४ के संबंध में कहना है कि बिहार शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों का संचालन ख्याति प्राप्त एवं अनुभवी स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है। इसके लिए बार्षिक कार्ययोजना में प्रति केन्द्र आवर्ती व्यय वर्ष १९९३-९४ में ६९२५/- रूपये और गैर आवर्ती व्यय १५००/- रूपये मात्र निर्धीरित किया गया था, जिसका विवरण कार्य योजना में सम्मिलित है। स्वैच्छिक संस्थाओं को राशि की विमुक्ति उनके द्वारा संचालित किये जा रहे के? केन्द्रों की संख्या के अनुपात में आवश्यक मदों में दिये गये केन्द्र व्यय के अनुरूप गणनाकर किस्तों में राशि की विमुक्ति की जाती है। इसके लिए पूर्व में भी निर्देश भेजा गया है।

चूंकि अधिकाश अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र दिन में ही चलाये जातें है अतः केन्द्रों के लिए लालटेन क्रय की आवश्यकता नहीं है, अतः गैर आवर्ती मद में प्रावधान की गई राशि से लालटेन क्रय नहीं किया जायेगा। गैर आवर्ती मद में उपलब्ध करायी गयी राशि से अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के लिए ब्लैक बोर्ड, बक्सा, चाट, नक्सा, खेल सामग्री, पुस्तके आदि का क्रय किया जा सकता है।

प्रति केन्द्र आवर्ती व्यय ६९२५/- रूपये के अन्तर्गत केन्द्रों के लिए अलग से कन्टीजेन्सी व्यय मद में २५०/- रूपये का प्रावधान किया गया है । इस राशि का उपयोग स्वैच्छिक संस्थायें केन्द्रों में स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप केन्द्रों में कन्टीजेन्सी व्यय के रूप में कर सकती है।

अतः अनुरोध है कि बी ई पी. के अन्तर्गत अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के लिए निर्धारित विलीस नार्म एवं उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में कृपया कार्रवाई करे।

> विश्वासभाजन, ह०/-(एस. विजयाराघवन) निदेशक

# बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, बेलट्रॉन भवन, बेलीरोड, पटना - २३

बी.ई.पी. पत्रांक २४५४

पटना टि ३.८.९३

प्रेषकः

श्री एस. विजयराघवन, भा.प्र.से. निदेशक ।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त सह जिला कार्यक्रम समन्वयक, रांची, प. चम्पारण, रोहतास, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पू. सिंहभूम एवं चतरा।

विषय: - बिहार शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण एवं मोनीटरिंग हेतु निर्देश।

महाशय,

बिहार शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम में विभिन्न स्तरों पर किर्मियों के प्रशिक्षण एवं उसकी मोनीटरिंग तथा केन्द्रों का सुसंचालन हेतु दिनांक २०-२१ जुलाई, ९३ को आयोजित संगोष्ट्री में लिये गये निर्णय के आलोक में सभी कार्रवाईयां पूरी की जाय। गोष्ठी का प्रतिवेदन संलग्न है। कृपया की गर्ब कार्रवाई से मुख्यालय को अवगत करायें।

विश्वासभाजन, ह०/-निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना, परिषद, पटना - २३

बिहार शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत अनौपचारिक शिक्षा के कम्पोनेन्ट प्रभारी एवं की रिसोर्स पर्सन की दो दिवसीय संगोष्ठी दिनांक २० से २१ जुलाई ९३ का प्रतिवेदन। बिहार शिक्षा परियोजना के जिलों में अनौपचारिक शिक्षा के कम्पोनेन्ट प्रभारी और की रिसोर्स पर्सन की दो दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन राज्य परियोजना मुख्यालय, पटना में किया गया। एन.सी.ई.आर.टी, नयी दिल्ली के अनौपचारिक शिक्षा एवं अनुसूचित जाति/ जनजाति शिक्षा विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सी.जे. दासवानी उपस्थित हुये। श्री एस. विजयराघवन, निदेशक, बी. ई. पी. और श्री विजय प्रकाश, विशेष कार्य पदाधिकारी, बी. ई. पी. एवं श्री गोपालजी सलाहकार भी बैठक में उपस्थित हुए। बैठक में 'रिसोर्स पर्सन' की भूमिका और अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के सुदृढ़ीकरण से सम्बंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ।

सर्वप्रथम बी. ई. पी. जिलों में अनौपचारिक शिक्षा प्रक्षेत्र में पुरा किये गये विभिन्न कार्यकलापों की समीक्षा की गई। समीक्षा के उपरान्त बी. ई. पी. में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वयन से सम्बंधित निम्नांकित निर्णय लिया गया :

१ - अनौपचारिक शिक्षा 'की रिसोर्स पर्सन' को प्रशिक्षण में पूर्णतः जिम्मेवारी निम्नांकित कार्यों के लिए मौंपी जायः-

ट्रेर्न्स का प्रशिक्षण, सुपरवाईजर का प्रशिक्षण, अनुदेशक का प्रशिक्षण।

- २ की रिसोर्स पर्सन मास्टर ट्रेनर के साथ सप्ताह में एक बार बैठक करें और विचार विनिमय हो।
- ३ इन्सट्रक्टर सुपरवाईजर के साथ माह में कम से कम एक बार बैठक करें। इस बैठक में 'की रिसोर्स' र्मिन अवश्य ही उपस्थित हों। बैंठक में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम क्रियान्वयन शैक्षिक मोनीटरिंग से सम्बंधित विभिन्न बिन्दुओं रि विचार-विमर्श किया जाए। इसके अलावे अगला ट्रेर्निंग में कौन कौन विषय रखा जाये॥, किमयों को कैसे किया जायेगा, आदि बातों पर चर्चा होगी।
- ४ की रिसोर्स पर्सन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रशिक्षण में ग्रुप डिसकसन ठीक से हो। सभी के पास मैनुअल |पलब्ध हो जाय और ट्रेनर ठीक से प्रशिक्षण दे।
- ५ केवल उन्हीं लोगों को अनौपचारिक शिक्षा प्रशिक्षण में लगाया जाय जो एक सिस्टम के अन्तर्गत प्रशिक्षित ए हों। हर प्रशिक्षण में कार्यक्रम आरम्भ के दो दिन पूर्व बैठक कर यह तय कर लिया जाय कि प्रशिक्षण की रणनीति या होगी। इस बैठक में मास्टर ट्रेनर भी रहें। चार पांच माह के बाद राज्य स्तर पर की रिसोर्स पर्सन और कम्पोनेन्टस वार्ज की बैठक बुलाई जाय और विभिन्न मुद्दों पर विचार विनिमय हो।

६ - की रिसोर्स पर्सन को कुछ ऐसे कार्य दिये जायें कि वे हर महीने मास्टर टेनर के साथ मिल सक।

७ - अनुदेशक अपनी समस्या मास्टर ट्रेनर तक ले जाय। मास्टर ट्रेनर महीने में एक बार अपनी शैक्षिक समस्या की रिसोर्स पर्सन तक ले जाय। की रिसोर्स पर्सन महीने में एक बार अपनी रिगद्धक समस्या या सुझाव कम्पोनेन्ट्स इंचार्ज के पास ले जाय और कम्पोनेन्ट्स इंचार्ज जिला कार्यबल के माध्यम से कार्यकारिणी समिति में समस्यायें ले जाय और समाधान करें। इसके लिए की-रिसोर्स पर्सन, मास्टर ट्रेनर, इन्सपेक्टर, सुपरवाईजर के लिए अलग-अलग प्रपत्र विकसित किया गया जो निम्न प्रकार है: -

### प्रपत्र-। सुपरवाईजर भीजिट डायरी - महीने में तीन बार

- १ केन्द्र भ्रमण की तिथि
- २ केन्द्र का नाम
- ३ अनुदेशक का नाम
- ४ पाठ्य संख्या जो पढ़ाई जा रही हो
- ५ समस्यायें
- ७ अभियुक्ति

प्रपत्र - २

### मास्टर ट्रेनर का अवलोकन (महीने में दो बार)

समस्या का प्रकार भाषा गणित पर्यावरण

### प्रपत्र-३ की रिसोर्स पर्सन का अवलोकन (महीने में एक बार)

#### समस्या

#### प्रशिक्षण आवश्यकताएं

- ८. कम्पोनेन्टस इंचार्ज का यह काम होगा कि डी.आर.यू और की रिसोर्स पर्सन एक साथ बैठकर यह तय करें कि ट्रेनिंग में क्या-क्या समस्याएं आ सकती है और उनका क्या-क्या समाधान होगा।
- ९. प्रत्येक कम्पोनेन्ट्स इंचार्ज जिलों में पत्र लिखकर आपस में सम्पर्क स्थापित करेंगे और वे एक दूसरे के अनुभव का लाभ उठायें। जिलों में की-रिसोर्स पर्सन की संख्या जिला बार सूची प्राप्त कर और उनको एन.सी.ई.आर.टी. पैटर्न पर प्रशिक्षित कर पढ़ाई जाय।
- २०. सभी की रिसोर्स पर्सन को जिलों में कार्यक्रम का कार्यान्वयन से सम्बंधित शैक्षिक नजरिया रखना है। की-रिसोर्स पर्सन की भूमिका मास्टर ट्रेनर के चयन में नहीं होगी। यह काम बी.ई.पी. और डी.आर.यू. के बीच का है। की रिसोर्स पर्सन केवल सुक्षाव दे सकते हैं।
- ११. ट्रेनर ग्रुप बनते समय टीम **में कार्य करने एवं सहयोग करने वालों को एक साथ रखना उचित होगा इसे ध** यान में रखा जाय।
- १२ अनुदेशक का प्रशिक्षण प्रथम वर्ष में १२ दिनों, १० दिनों और ८ दिनों का होगा।
- . १२. दिन का प्रक्रिया आघारित प्रशिक्षण होगा। उसके तुरत बाद लगभग ३ माह के बाद २० दिनों का विषयवस्तु आधारित प्रशिक्षण होगा और उसके दो माह के बाद ८ दिनों का मूल्यांकण प्रविधि से सम्बंधित प्रशिक्षण होगा।

दूसरे साल १०+१० दिनों का पुर्नप्रशिक्षण होगा।

जिलों में अनौपचारिक शिक्षा प्रशिक्षण एवं केन्द्रों में बच्चों की उपलब्धि सुनिश्चित करने हेतु उपर्युक्त निर्णयं के अनुसार कार्रवाई की जाए और समय-समय पर इसकी मोनिटरिंग हेतु राज्य मुख्यालय में समीक्षात्मक बैठक बुलाई जाय। उपर्युक्त के आलोक में कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया।

### बिहार शिक्षा परियोजना परिषद बेल्ट्रॉन भवन, शास्त्री नगर, पटना-८०००२३

बी.ई.पी.

पत्रांकः 3006 पटना दि. २८.१२.९३

प्रेषक:

श्री एस. विजयराघवन, भा.प्र.से.

निदेशक।

सेवा में:

उप विकास आयुक्त-सह जिला

कार्यक्रम समन्वयक,

बिहार शिक्षा परियोजना, रांची, रोहतास, प. चम्पारण, सीतामढी,

मुजंपफरपुर, पू. सिंहभूम एवं चतरा।

फादर अगस्टिन

प्रोप्राम समन्वयक.

बिहार शिक्षा परियोजना, पू.सिंहभूम, जमशेदपुर।

अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों का प्रशिक्षण हेतु ''की रिसोर्स पर्सन'' के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए व्यक्तियों की सुची भेजने के संबंध में।

महाशय.

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि जिले के अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों का प्रशिक्षण के कार्यक्रम हेतु की रिसोर्स पर्सन पूर्व में प्रशिक्षित किया गया था। जिलों में अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप प्रशिक्षण कोर्सो की संख्या में अभिवृद्धि होगी। अतः जिलों में ''की रिसोर्स प्रर्सन'' को बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे कि प्रशिक्षण कार्यक्रम के समय उनसे काम लिया जा सकता है।

आपसे अनुरोध है कि जिले से समर्पित एवं अच्छे व्यक्तियों का चयन कर चार व्यक्तियों के नाम कृपया भेजने का कष्ट करें। ये व्यक्ति अवकाश प्राप्त अच्छे शिक्षक, गांव में रहने वाले, पढ़े-लिखे, सामाजिक एवं समर्पित व्यक्ति हो सकते हैं। जिन जिलों में डीर आर यू. कार्यरत है उन जिलों के लिए की रिसोर्स पर्सन की सूची डी आर यू. के द्वारा चयन कर सूची का प्रेषण किया जायेगा।

विश्वासभाजन.

ま0/-

निदेशक.

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद,

पटना-२३

ज्ञापांकः ३७०८

पटना दि० २८.१२.९३

प्रतिलिपि जिला साधन एकक जिला बेतिया द्वारा-के. आर. हाई स्कूल, वेतिया, जिला प० चम्पारण को स्चनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

निदेशक.

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना-२३

# बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् बेलट्रॉन भवन, शास्त्री नगर, पटना।

पत्र संख्या:- २६१९

/पटना

दिनांक :- ३०.८.९३

प्रवास्त्र प्राप्तकः

> सिस्टर सुजीता, सलाहकार, बिहार शिक्षा परियोजना, बिहार, पटना।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त-सह-कार्यक्रम समन्वयक बिहार शिक्षा परियोजना सभी जिलों के लिए।

विषय:- महिला समाख्या जिला संसाधन केन्द्र की स्थापना के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक परिषद कार्यालय पत्रांकः-२४०४, दिनांकः- २१.७.९३ का निदेश किया जाय। बिहार शिक्षा परियोजना वार्षिक कार्ययोजना १९९३-९४ के आलोक में विभिन्न परियोजना जिलों में महिला समाख्या जिला संसाधन केन्द्र की स्थापना संबंधी कार्रवाई अगस्त १९९३ तक पूर्ण कर लेनी है। प्रस्तावित संसाधन केन्द्र के विभिन्न आयामों पर जिला कोर टीम के साथ आयोजित गत रिफ्लेक्शेन बैठकों में चर्चा के दरम्यान कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुएं उभर कर आयी जिन पर भी उचित कार्रवाई अपेक्षित है।

तदनुसार आवश्यक सूचनाओं/ <mark>निदेशें की एक प्रति संलग्न कर अनुरोध है कि निर्धारित अवधि के अंदर</mark> उपरोक्त कार्य को संपन्न कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

सलाहकार,

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्

बिहार, पटना।

ज्ञापांकः- २६१९

/पटना.

दिनांकः ३०.८.९३-

प्रतिलिपि महिला समाख्या, जिला कोर टीम सभी बी ई.पी. जिलों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सलाहकार, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्

बिहार, पटना।

# महिला समाख्या संसाधन केन्द्र: आवश्यक बिन्दुऍ

महिला समाख्या संसाधन केन्द्र मुख्यतया महिला समाख्या से जुड़ी महिलाओं के सतत् प्रशिक्षण एवं अनवरत शिक्षा का केन्द्र माना जायगा।

इस केन्द्र द्वारा प्रलेखन एवं प्रशिक्षण हेनु आवश्यक सामग्रियों की तैयारियां, सेमिनार/वर्कशाप के आयोजन, पोस्टर पुस्तिका आदि की तैयारी तथा विभिन्न बैठकों/प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने वाली महिला समाख्या से जुड़ी प्रामीण महिलाओं को अस्थायी रूप से ठहरने की व्यवस्था तथा महिला शिक्षण केन्द्र के साथ समन्वय की कार्रवाई आदि कार्य सम्पन्न किया जायगा। उक्त संबंधित केन्द्र के एक भाग को विभिन्न अवस्थाओं में धीरे-धीरे एक पुस्तकालय के रूप में भी विकसित किये जाने की योजना है। संबंधित पुस्तकालय में उपर्युक्त पुस्तकें/पत्र-पत्रिकाएं/दृश्य एवं श्रव्य सामग्रियों आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की जायगी

- \* महिला समाख्या संसाधन केन्द्र के लिए चयनित मकान/आवासीय फ्लैट परियोजना जिला कार्यालय से १ से २ कि. मी. के आस-पास स्थित आवागमन के योग्य तथा सुरक्षित स्थान पर तथा कम से कम एक हॉल, दो कमर दो शौचालयों से युक्त होनी चाहिए।
- मकान भाड़ा रू. १५००/- प्रतिमाह से साधारणतः अधिक नहीं होनी चाहिए।
- \* महिला समाख्या रिसोर्स सेन्टर के सामानों की आपूर्ति के लिए निर्धारित नार्म्स (कृपया संलग्न सूची को देखें) आईटम नं० १ से ३ के लिए जिला कोर टीम को स्थानीय खादी भंडार केन्द्रों से खरीददारी के लिए प्राधिकृत किया जाय।
- २. संलग्न सूची के आईटम नं. ४ से ६ के लिए जिला कोर टीम को स्थानीय खरीदारी हेतु प्राधिकृत किया जाय।
- आईटम नं-९ की व्यवस्था मुख्यालय स्तर पर मिहला समूहों के सदस्यों के पुनः पटना आने पर उपलब्ध करा दिया जायगा।
- ४. डिस्प्ले बोर्ड संबंधित जिलों को उपलब्ध करा दिया गया है जिसे महिला समाख्या कोर टीम के बी.ई.पी. कार्यालय से उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाय।
- ५. आईटम न. १३,१४ से २१ तक की सामग्रियों को डी.सी.टी. के पटना आगमन पर उन्हें हस्तगत करा दिया जायगा।
- ६. शेष अन्य आईटमों के लिए जिला कोर टीम द्वारा जिला कार्यालय को अनुरोध किया जा सकता है तथा कुर्सी, टेबुल आदि सामग्रियां आपूर्ति सूची (सप्लाई लिस्ट) में सम्मिलित किया जा सकता है।

# जिला महिला समाख्या रिसोर्स सेन्टर के लिए सामानों की आपूर्ति:

? .	दर्स .	आवश्यकतानुसार
₹.	चादर	३०-३५ व्यक्तियों के लिए
₹.	कम्बल	वही
€.	तकिया	वही
4.	पर्दा	आवश्यकतानुसार
<b>F</b> .	नौलिया	तीन
٤.	देबुल (छोटा)	दो
4.	कुर्सी	3-8
٥.	ब्लैक्बोर्ड ,	(4'x3')
	डिस्प्ले बोर्ड	2
	स्टील आलमीरा (बड़ा)	<b>१</b>
	बुक सेत्क	<b>१</b>
23.	बाल्टी वड़ा	Ę
28.	बाल्टी छोटा	3
94.	मग	<b>६</b>
۶ ج	स्टील थाली	तीन दर्जन
100 N	स्टील ग्लास	<b>,,</b> ,,
2	क्प	22. 22. 1 San
. 9.	छोटा चम्मच	? ,,
20.	जग	5
29	ट्रे	2
) >	गहा बैठने के लिए	-आवष्यकतानुसार
73.	और अन्य जरूरत की चीजें जैसे पंखा, बत	
	कालान्तर में प्रत्येक रिसोर्स सेन्टर में निम्नित	तिखित चीजों की आपूर्ति किया जायगा।
	टी.वी., वी.सी.आर.	9
	टूडन वन ,	9
	कैमरा	?

## बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् बेल्ट्रान भवन, शास्त्री नगर पटना

पत्र संख्याः बी.ई.पी.म.स.--२६८७/

पटना

दिनांक-९ सितम्बर, ९३.

प्रेषक,

सिस्टर सुजीता, सलाहकार बिहार शिक्षा परियोजना, पटना।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी/उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, उप विकास आयुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक, बिहार शिक्षा परियोजना, रांची/सीतामढ़ी/पश्चिम चम्पारण/रोहतास/मूजफ्फरपुर कार्यक्रम समन्वयक, बिहार शिक्षा परियोजना, पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर) विशेष कार्य पदाधिकारी, बी.ई.पी. रांची/पश्चिम चम्पारण।

विषय:- बालिका एवं महिला शिक्षा हेतु ''जगजगी'' केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में। महाशय,

राज्य स्तरीय महिला समाख्या रिफ्लेक्शन मीटिंग (२०-२३ अगस्त, ९३) के दरम्यान महिला समाख्या द्वारा बालिकाओं एवं महिलाओं की शिक्षा के लिये एक नया अभियान ''जगजगी'' अविलम्ब प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया।

''जगजगी'' की अवधारिणा के अनुसार महिलाएं शिक्षित होंगी तभी जगत (समाज) में जागरूकता आयेगी। ''जगजगी'' के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम प्रस्तावित है:-

६ से ८ वर्ष की बालिकाओं के लिए स्कूल की तैयारी एवं नामांकन।

- नामांकित बच्चों का छीजन रोकने और विद्यालयों में उनकी प्रगति की समीक्षा करने के लिए महिला समूह के साथ कार्यक्रम करना।
- किशोरियों (९-१४) के लिए ''जगजगी'' केन्द्रों में शिक्षा का प्रावधान।
- महिलाओं के लिए "जगजगी" केन्द्रों में साक्षरता शिक्षा का प्रावधान।
- ग्राम शिक्षा सिमित में मिहला समूहों की सिक्रय भागीदारी।
   ''जगजगी'' केन्द्र के सम्बन्ध में

केंन्द्र मुख्यतः तीन प्रकार के होंगें-

१. किशारियों के लिए (९-१४)

२. महिलाओं के लिए (१५-४०....)

३. आवश्यकता के आधार पर किशोरियों/महिलाओं, बाल-बालिका का मिश्रित केन्द्र

<u>सहेली</u>

• जगजगी केन्द्र की अनुदेशिका ''सहेली'' के नाम से जानी जायेगी। सहेली शिक्षार्थी को अक्षर ज्ञान के साध-साध महिलाओं से संबंधित जानकारियां भी देंगी। जिस गांव में सहेली हो तो एक सहेली दो ''जगजगी'' केन्द्रों का संचालन कर सकती है।

सहेली का चयन

सहेली का चयन महिला समाख्या जिला कोर टीम, सहयोगिनियां एवं महिला समूहों के सहभागिता से किया जायेगा। नयनित सहेलियों की सूचि बिहार शिक्षा परियोजना, जिला एवं मुख्यालय को सूचनार्थ भेजी जायेगी।

प्रशिक्षण

चयनित सहेलियों का प्रशिक्षण बिहार शिक्षा परियोजना के जिला अनौपचारिक शिक्षा के प्रभारी के सहयोग से दिया जायेगा।

अनुदेशिकाओं का प्रशिक्षण अवधि, स्थान, पाठ्यक्रम इत्यादि जिला बिहार शिक्षा परियोजना के अनौपनारिक शिक्षा आयामों के शर्तों के आधार पर होगी।

महिला समाख्या के लिए यह एक विशेष कार्यक्रम होगा इसलिए प्रशिक्षण के दौरान तीन दिन का अतिरिक्त प्रशिक्षण महिला समाख्या के दुष्टिकोण से महिला समाख्या कोर ढीम द्वारा दिया जायेगा।

पर्यवेक्षाण/मृल्यांकन

''जगजगी'' केन्द्रों के लिए प्रर्यवेक्षक अलग से नहीं रहेंगें। सहयोगिनियां एवं महिला समूह की देख-रेख में केन्द्र कार्य करेंगी। ''जगजगी'' केन्द्रों के सुचारू रूप से अनुश्रवण एवं मूल्याकंण करने हेतु विशेष प्रपत्र तैयार करके मुख्यालय से केन्द्रों के लिए उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रत्येक माह में निर्धारित दिन में सहेलियों के लिए जिला स्तरीय बैठक होगी जिसमें शिक्षुओं के प्रगति की समीक्षा तथा आगामी माह के लिए योजना बनाई जायेगी।

शिशुक्षुओं का केन्द्रवार प्रगति-प्रतिवेदन प्रतिमाह जिला एवं मुख्यालय बिहार शिक्षा परियोजना को भेजा जायेगा। सहिलयों की बैठक जिला कोर टीम (म. स.) करेगी जिसमें यथासंभव जिला बिहार शिक्षा परियोजना अनौपचारिक प्रभारी उपस्थित रहेंगे। ''जगजनी'' केन्द्रों के शिक्षुओं <mark>का शैक्षिक प्रगति मूल्यांकन दो माह में महिला समाख्या द्वारा गठित एक विशेष्। टीम द्वारा</mark> किया जायेगा।

#### पठन-पाठन सामग्री

बिहार शिक्षा परियोजना जिला कार्यालय से पठन-पाठन सामग्री की आपूर्ति जिला कोर टीम. (म.स.) के सहयोग से करेगी साथ ही गांव स्तर में शिशिक्षुओं को सामाग्री उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी महिला समृह की होगी। बी.ई.पी. अनौपचारिक शिक्षा के साथ ''जगजगी'' की तालमेल किया जायेगा।

#### अवधि एवं नॉर्म्स:

अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की कुल अविधि, पाठ्यकम, पाठ्य-योजना एवं अन्य सभी नॉम्स वी.ई.पी. के अनुदेशों के अनुरूप होंगे।

### सहेलियों का मानदेय:

यहेलियों का मानदेय २००४- (दो मों) रूपये प्रतिमाह सहयोगिनी की अनुशंसा पर महिला समूह द्वारा भुगतान होगा। जिला कोर टीम (म.स.) महिला समूह के साथ विचार-विमर्श कर सहयोगिनियों को मानदेय देने के अन्य शर्तों के संबंध। में निर्णय लेंगे।

कृपया उपर्युक्त बिन्दुओं पर ध्यान देकर सभी महिला समाख्या क्षेत्रों में ''जगजगी'' कार्यक्रम प्रारम्भ करने की कार्रवाई की जाय। प्रथम चरण में (९३-९४) प्रत्येक जिला में ३० से ज्यादा केन्द्र नहीं खोलना चाहेंगे।

विश्वासभाजन

ह०/-

सिस्टर सुजीता

सलाहकार,

विहार शिक्षा परियोजना,

पटना।

चापावः

पटना.

दिनांक सितम्बर, १९९३

्र प्रतितिपि सभी महिला समारखाँ जिला कोर टीम, पश्चिम चम्पारण/रोहतांस /जमशेटपुर/सीतामढ़ी/मुंजफ्फरपुर एवं रांची को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेपित।

> ह०*।* सिस्टर सुजीता

यलाहकार,

बिहार शिक्षा परियोजना,

पटना।

जापांक

पटना

दिनाक-

्रप्रतिलिपि श्री टी.एस.सान्ध्र, यूनिसेफ, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

हरः सिस्टर सुजीता सलाहकार,

विद्यार शिक्षा परियोजना, पटना।

# बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् बेल्ट्रॉन भवन, शास्त्रीनगर, पटना

पत्रांक:

म.स./३५८० / वटना,

दिनाकः १६-२-५४

प्रेषक,

सिस्टर सुजीता, सलाहकार : बिहार शिक्षा परियोजना परिषद बिहार, पटना। सेवा में.

> महिला समाख्या, जिला कोर टीम (सभी म.स. जिलों के लिए)

विषय: महिला समाख्या जिला कोर टीम द्वारा मृत्यांकन प्रपन्न के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक के सन्दर्भ में कहना है कि मूल्याकन से सम्बन्धित पत्र भेजा जा चुका है। मूल्यांकन का दूराया 🗛 प्रपत्र भी भेजी जा रही है। इस कार्य को आपके प्रशिक्षण का महत्वपूर्ण अंग माना जाएँगा। कृपया दिये गये मुद्दी के आधार पर मूल्यांकन करेंगे और मूल्यांकन रिपोर्ट १५ मार्च, ९४ तक मुख्यालय को भेजेंगे।

> (सिस्टर स्वीत्। वहार शिक्षा परियोजना पारपट

# महिला समाख्या जिला कोर टीम द्वारा मूल्यांकन-प्रपत्र

महिला समाख्या कार्यक्रम का मुख्य उद्देशय है, जानकारी, शिक्षा और प्रशिक्षण द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाना, जिससे वे अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को समझें, उसमें सुघार कर सकें और अपने तथा सामाजिक विकास में सिक्रय भागीदारी निभा सकें। महिला समाख्या कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं को मूल्यांकन करते समय महिला सजगता संगठन और सशक्तिीकरण पर सबसे ज्यादा महत्व देना होगा।

### मूल्यांकन प्रणालीः

साक्षात्कार, प्रश्नावली, क्षेत्र भ्रमण म.स. किमयों के साथ अनौपचारिक संवाद, अवलोकन इत्यादि सभी कोर टीम से निवेदन है कि वे संलग्न प्रपत्र के आधार पर निर्धारित जिले में मूल्यांकन पूरा कर मूल्यांकन रिपोर्ट राज्य मुख्यालय को भेजने का कष्ट करें। (सभी रिपोर्ट मार्च, १५ तारीख तक मुख्यालय भेजें।) यह मुल्यांकन कार्य जिला कोर टीम के प्रशिक्षण का एक पहलु माना जायेगा।

#### भाग-१

(बिहार शिक्षा परियोजना के अन्य अव्यवों तथा डी.टी.एफ. के साथ महिला समाख्या के तालमेल के सम्बन्ध में) १. बिहार शिक्षा परियोजना के अन्य आयामों के कार्यान्वयन तथा योजना बनाने में महिला समाख्या का क्या योगदान है?

- २. महिला समाख्या के योजना निर्माण तथा अनुश्रवण में टास्क फोर्स की क्या भूमिका है?
- ३. महिला समाख्या और डी.टी. एफ. के बीच का आपसी सम्बन्ध कैसा है?
- ४. क्या आप (डी.टी.एफ.) महिला समाख्या कार्यक्रम से महिलाओं की स्थिति में आये परिवर्तन को महसूस करती हैं या नहीं? परिवर्तन किन-किन क्षेत्रों में दिखाई देता हैं?
- ५. आपकी (डी.टी.एफ.) राय में आपके जिला में महिला समाख्या कार्यक्रम की सबसे महत्वपूर्ण ''मजबूती'' क्या है? ''कमजोरी'' क्या है?

### <u>भाग-२</u> सखी/सहेली/मूल्यांकन-प्रपत्र

- १. आप सखी/सहेली के तौर पर कब से काम कर रही हैं? क्यों?
- २. आपको यह काम कैसा लगता है? क्या आपको इससे कुछ लाभ हुआ है?
- ३. आपका चयन किस प्रकार हुआ? क्या आपको इससे कुछ लाभ हुआ है?
- ४. आप समूह में क्या करती हैं? आपके समूह मे औसतन कितनी महिलाएं होती हैं?
- ५. क्या समूह की बैठक नियमित रूप से होती है? महिला समूह के बैठक में किन-किन विषयों पर चर्चा होती है?
- ६. आपकी बैठकों तथा अन्य कार्यकलापों के सम्बन्ध में गांव वालों का क्या विचार है?
- ७. क्या वे महिला समाख्या के बारे में कुछ जानते हैं? क्या आपने उन्हें कभी इस बारे में बताने की चेष्टा की है?
- दे. क्या आप महिला समाख्या के बारे में गांव वालों को पंचायत और प्रखण्डस्तरीय पदाधिकारियों को समझा सकती है: इन लोगों से महिला समाख्या कार्यक्रम में अब तक क्या सहयोग मिला है?
- ९. क्या आपके गांव की लड़िकयों के स्कूल जाने में वृद्धि हुई है? यदि हुई हो तो कितनी लड़िकयों ने महिला समाख्या के जरिए नामांकन कराया है?
- १० क्या आपको अपनी समस्याओं के सिलसिले में कभी जिलास्तर के लोगों से भी मिलने की नौबत आई है, यदि हां तो किन परिस्थितियों में तथा कैसी समस्याओं के लिए और क्या सहयोग मिला?
- ११. पांच ऐसी बातें बताएं जो आपको म.स. के बारे में अच्छी लगती हो तथा पांच ऐसी भी बातें बतायें जो आपको नापसंद हों (म.स. के संबंध में)
- २. मान लीजिए यदि आपके म.स. का उच्च पद दे दिया जाए तो आप इसमें क्या-क्या सुधार कर सकतीं हैं?

सुझाब:-

### भाग-३ सहयोगिनी मूल्यांकन-प्रपत्र

- १. आप महिला समाख्या से क्यों और कैसे जुड़ीं? आप सहयोगिनी के रूप में कब से काम कर रहीं हैं?
- इसके पहले आप क्या करती थी?
- महिला समाख्या में आने से क्या आप अपने आप में कोई परिवर्तन महसूस करती हैं? कैसे?
- ८. एक सहयोगिनी के रूप में आप क्या-क्या काम करती है? इस काम का संचालन आप कैसे करती है?
- 4. क्या गांव वाले आपकी बात की मानते हैं और आपका सहयोग देते हैं?
- ह. अभी तक आपने कितने महिला समूहों का निर्माण किया है? इन समूहों के निर्माण में आपने क्या विधि अपनाई है?
- अापके संकृत में कितने महिला समूह नियमित रूप से बैठक करते हैं?
- ८. आपके संकृत में कितने महिला समूह अपने बैठक का उपस्थिति पंजी तथा रिपोर्ट रखते है?
- ९. अपके संक्ल में कितने समूह में बचत कोष शुरू किया गया है?
- १०. क्या महिलाए इन बचत कोषों में नियमित रूप से पैसे जमा करती हैं? कुल कितना रूपया जमा है, बैंक में कितने समुहों ने खाता खोला है?
- ११. महिला समुहों में आप किन-किन वातों पर चर्चा करती है? 🕆
- १२. क्या आप दैनिक/माप्ताहिक/मासिक कार्यों का व्योग रखती हैं? मासिक रिपोर्ट लिखने से आपको क्या फायदा है?
- १३. जिला कोर टीम के सदस्यों से आपको कैसी सहायता मिलती है? क्या वे प्रति सप्ताह आप के साथ बैठकर साप्ताहिक योजना बनाते हैं और आपको मदद देने में तत्पर रहते हैं?
- १४. महिला समाख्या के संदर्भ में क्या आप ऐसा समझती है कि इससे महिलाओं की स्थिति में सुधार आएगा, यदि हा तो कैसे?
- १५. जिला कोर टीम के सदस्य क्षेत्र भ्रमण के लिए कब-कव आते हैं?
- १६. क्या आपने किसी प्रकार की ट्रेनिंग लो हैं? यदि हो तो क्या और कय?
- १३ क्या इस ट्रेनिंग से आपके कोई फायदा हुआ है? यदि हां तो कैसे?
- १८ तया आप ऐसा समझती है कि आपको और किसी ट्रेनिंग की आवश्यकता है? यदि हो तो किस प्रकार का?

- १९. आपके संकुल में कितनी प्रशिक्षित <mark>संखियां हैं? आप सखी में कब-कव</mark> मिलती हैं और उनमें किन वातीं पर चर्चा करतीं हैं?
- २०. महिला <mark>समाख्या कार्यक्रम में अन्य गांव वालों, विशेषकर पुरूषों की भागीदारी के लिए आप क्या कदम</mark> उठायी है?
- २१ जिला कोर टीम के साथ आपका कैसा सम्बन्ध है? उनसे आपकी क्या अपेक्षाएं है?
- २२. महयोगिनी **के रूप में आपकी सबसे** बड़ी मजबूरी क्या है तथा सबसे बड़ी कमजोरी क्या है?
- २३. क्या आपको जो मानदेय मिलता है उस पर आपका पूरा अधिकार है? उसमें से आपने अब तक कितना वचत कोप में बैंक में जमा किया है?
  - आपको दसों गांव घमने में कितना दिन लगता है? प्रतिदिन आप कितने गांव जाती हैं?
  - प्राचित्र क्या आप पंचायत चुनाव लड़ने को तैयार हैं? नहीं तो क्यों नहीं?
- २६. आपके संकृत में विहार शिक्षा परियोजना के अन्य आयामी के साथ आप का क्या सम्बन्ध है?
  - आपको अपने कार्य में कौन-कौन सी बाधाएं आती हैं- घर में, समाज में तथा महिला समाख्या कार्यकर्त्ताओं के माथ?
  - , महिला समाख्या के कारण गांवों में क्या-क्या परिवर्तन आयी है?

#### Bihar Education Project Council Beltron Bhawan, Shastrinagar, Patna

No. BEP/M.S./3746

/Patna.

dtd. 7-3-94

Q

From.

Sister Sujita
Project Officer,
Bihar Education Project Council
Patna

To,

DM/D.C./DDC, Bihar Education Project Rohtas, Ranchi, Muzaffarpur, Sitamarhi, Bettiah, Jamshedpur, Chatra,

#### Sub:- Construction of Mahila Kutir.

Dear Sir,

Norms and guidelines for construction of the proposed Mahila Kutirs were developed through a process of reflection and workshops. During the State Level workshop on Mahila Kuti held on 17-1-94 in MSRC, Patna, guidelines were formulated and communicated to the BEI districts (copy attached).

With regard to the budget allocation for Mahila Kutir, it may be noted that a total sum of Rs 30,000/- (thirty thousand only) is admissable which is inclusive of expenses towards purchase of a dhurrie and musical instruments for Mahila Samoohs, other norms are explained in the attached note

Kindly ensure that the Mahila Samooh women are fully involved in all the process of the Kuticonstruction. Women will be trained as masons during the Kutic construction.

With all good wishes,

Yours Sincerely, Sd/-Sister Sujita Project Officer BEP, Patna.

#### NORMS TO BE FOLLOWED IN THE CONSTRUCTION OF MAHILA KUTIR.

- 1. LAND:
- (a) The Mahila Samooh women will identify a piece of Govt. land (minimum 3 decimal) at a convenient place in the village where Kutir is to be built. Proper papers/letters of authorisation for the use of the land for Kutir construction will be obtained from the concerned C.O.
- (b) D.M.'s letter to the BEP programme co-ordinator/O.S.D. requesting him to initiate Kutir construction activities in the land obtained for this purpose is essential.
- c) Before any construction work begins all concerned persons-DM/DDC/DTF/SDO/BDO/CO and others should be iformed about this activity.
- d) In case of donated land, it must be transferred legally to the Government and then to the MS by the DM for the construction of the Kutir.

#### NVISAGED USE OF THE KUTIR

- \* For the regular meetings of the Mahila Samooh
- \* For conducting the Jagjagi classes for women and young girls.
- \* For cluster level Sakhi meeting and training.
- \* Inter-samooh meetings and as a centre for net-working activities among the MS cluster villages.
- \* Mahila Samooh Training.
- \* For recreation and cultural activities for the samooh women and girls.

### SIZE OF MAHILA KUTIR:

A Kutir should have the seating capacity for 35-40 women. The Consultant Engineer: Mr. C.K. Singh. BEP, State Office suggested that the total area of the hut should be about 300 Siq. ft consisting of one room-12' x 16'. Verandah and Toilet. The room should be so made that iit has sufficient storing facilities (Almirahs) built on to the walls. It was also suggested that there should be a large black board on one of the walls.

The doors and windows would be of cast iron and no wood would be used in the building Large sliding doors, enabling the use of the verandah also was suggested. Considering the fact that most village have no electric supply, it is suggested that the hut should be so built to have maximum sunlight in the room. The windows and doors could be centrally prepared in the districts and supplied to the Mahila Samooh.

#### TRAINING OF WOMEN IN CONSTRUCTION ACTIVITIES ((A'S RAJ MISTRIES))

Several women have evinced interest in learning the art of masomery. Mr. C.K. Singlh has agreed to arrange for the needed training in this regard in each district. To provide the interested women opportunity of "learning by doing" he will tie up the training programmes with the construction activities already going in the districts. The trained women will help with the construction of Kuti anywhere in the district, depending on their convenience

## CONDITIONS FOR TAKING UP THE MAHILA KUTIR ACTIVITY BY THE MAHILA SAMOOH IN THEIR VILLAGE

- The Mahila Samooh has at least 15 members who meet regularly every week to discuss issues, share information etc
  - (proceedings of the meetings attendance register will be kept by each Mahila Samiooh)
- 2. Priority will be given to Mahila Samoohs of SC/ST and mimority groups
- 3. The samooh has been functioning well at least for three moinths and have taken up assue based action as a group, eg., Ration Cards, Drinking Water. Immunization, Enrollment etc.

- 4. The samooh has savings and thrift initiated in the group and it has already saved up Rs. 300- in a time bound deposit in a Co-operative of Nationalised Bank.
- A minimum of 3 decimal land has been acquired for use by the samooh from the concerned authories for the construction of the Kutir (Letter from C.O./DM/DDC or BEP District Co-ordinator/OSD must clearly indicate permission for use of land for the BEP, MS Kutir by the Mahila Samooh).
- The Mahila samooh must ensure the participation of the villagers in Kutir construction; and must contribute in cash/kind/labour. 20% of the total cost of the Kutir.
- The construction as well as the maintenance of the Kutir will be the responsibility of the concerned Mahila samooh. The norms concerning these aspects of the Kutir will be dirawn up by the samooh through a collective decision making process.

8

- The Mahila Samooh will ensure that it makes maximum effort in enrolling and retaining all their girl children in school or Jagjagi Centres and women will learn in womem's Jagjagi centres.
- In the list phase, each cluster will construct only one Kutir in a village selected on the basis off the strength and quality of Mahila Samooli.

## बिहार शिक्षा परियोजना परिषद बेल्ट्रॉन भवन, शास्त्रीनगर, पटना।

पत्रांकः बि.शि.प./म.स./ ३७३१ / पटना, दिनांकः ७ु-३ं.९४

प्रेषक.

सिस्टर सुजीता, प्रोजक्ट ऑफिसर. बिहार शिक्षा परियोजना परिषद पटना।

सेवा में.

जिला पदाधिकारी/जिला उप विकास आयुक्त सह कार्यक्रम समन्वयक/विशेष कार्य पदाधिकारी (सभी जिलों के लिए) विषयः गठित महिला समूहो को दिया जाने वाला बचत कोष राशि के संबंध में। महोदय.

महिला समाख्या के अन्तर्गत जिन महिला समू**ब्रों का** गठन हुआ और जिनकी बैठकें निर्यामत एवं सुचारू रूप से चल रही है उन महिला समूहों के बचत कोशण के लिए कुछ राशि देने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए कुछ निम्न शर्ते है जिनके आध ार पर उन्हें यह राशि निर्गत की जाएगी:

- १. वैसे समूह जो नियमित रूप से बैठके करते थे।
- २. वैसे समूह जिन्होंने नियमित बचत किया हो।
- ३. कम से कम १५० रूपये बचत कोष में हो।
- ४. यह बचत खाता ज्वाइंट होगा। ५. पुराने समूह (जो एक साल से ज्यादा समय से नियमित रूप से बैठक करते हैं) उनको पूरा २,५०० रूपये और जो समूह एक साल से कम और छह महीने से ज्यादा काम कर रहे है उन्हें १,२०० रूपये दिय जाएँगे।
- ६. जब तक जिला कोर टीम व समूह के लोग सम्मिलित रूप से कोई नियम न बना लें तब तक उस बचत कोष से महिलाओं को, जिन्होंने इसमें पैसे जमा किये हैं, ऋण देने की भी व्यवस्था होगी जो समूह के सम्मिलित निर्णय पर आधारित होगा जिससे वे छोटा-मोटा रोजगार कर सकें।

अतः आपसे अनुरोध है कि ऐसे महिला समृहों की एक लिस्ट जो उपरोक्त शर्तों को पूरा करती है इसकी एक कॉपी २० मार्च, १९९४ तक राज्य मुख्यालय बिशि प. को भेज दें।

विश्वासभाजन ह०/-सिस्टर सजीता प्रोजेक्ट ऑफिसर बि.शि.प.पटना

प्रतिलिपि-म.स. जिला कोर टीम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेत् प्रेषित।

विश्वासभाजन ह०/-सिस्टर सुजीता प्रोजेक्ट ऑफिसर वि.शि.व. पटना।

### बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, बेलट्रॉन भवन, बेलीरोड, पटना-२३

बी.ई.पी. पत्रांकः

२८७३ पटना

বি০ <u>৬</u>.१०.९३

प्रेप्रेष्धकः-

श्री एस. विजयराघवन, भा प्र.सं.

निदेशक ।

सेसेका में.

सभी उप विकास आयुक्त-सह-कार्यक्रम समन्वयक, बिहार शिक्षा परियोजना ।

विविषाय:-

परियोजना जिलों से प्रकाशित होने वाले समाचार पर्चों (न्यूज बुलेटिन) हेतु कागज की आपूर्ति के संबंध में।

महहाश्राय.

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभिन्न जिला कार्यालयों/ ''डायट'' द्वारा मासिक/द्विमासिक ''न्यूज बुलेटिन'' केहें मुद्रण हेतु कागज की व्यवस्था खुले बाजार से की जा रही है जब कि ''सामू'' के द्वारा संचित कागज उपयक्त मात्रा में उपलब्ध है : ।

अतः अनुरोध है कि भविष्य में प्रकाशनार्थ समाचार पर्ची आदि हेतु बाजार से कागज की अधिप्राप्ति न कर अपने जिबला के लिए कागज की आवंटित मात्रा उप विकास आयुक्त, मुजफ्फरपुर से संपर्क स्थापित कर प्राप्त करने की कार्रवाई करें । विश्वासभाजन

> ह०/-निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद,

पटना-२३

जापांक:- २८

२८७३

पटना

दि० ७१०.९३

प्रतिलिपि उप विकास आयुक्त-सह-कार्यक्रम समन्वयक, बिहार शिक्षा परियोजना, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवार्ड हेतु ो प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि ''सामू'' के द्वारा संचित ६६ 🗙 ८१ से.मी. साईज के कागज की १५० रीम मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, बेतिबया, रोहतास, जमशेदपुर तथा राँची प्रत्येक जिला तथा चतरा को १०० रीम कागज आपूर्ति करने की व्यवस्था करें।

> ह०/-निदेशक.

बिहार शिक्षा परियोजना

परिषद, पटना-८०० ०२३

## क्तिहार सिक्षा परियोत्तरा परिषड्ह विवेलट्रॉन भवन, बेलीसेड, पटना-२३

बी.ई.पी. पत्रांक:- संचार- २९९३३ हाल विट्या दिं १६,१०.९३ प्रेषक:-श्री एस. विजयराघववनन, भा.प्र.से. निदेशक. सेवा में. सभी उप विकास आगय्युक्त-सह-कार्यक्रम समन्वययवक. बिहार शिक्षा परियोजजनना जिला समुदाय कोते । अभिप्रेरित करने हेतु ''हैडबिलार पर्ची का मुद्रण एवं चितरण के संबंध। में विषय: दिशा निर्देशशा । े इं स्क इक्तों एड फिए हिप्सी पासाप हात महाशस्य, समुदाय को शिक्षा केंक्रे लिए अधिप्रेरित करने संबंधि पर्ची के मुद्रेण एवं वितरण संबंधित दिशा निर्देश की प्रति संलग्न है। अनुरोध है किंक ततदनुसार संबंधित पर्चों के मुद्रम एवं वितरण की कार्रवाई करें। विश्वासभाजन. - रुसू आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा माहंकारो एवं कार्यना या वहां उपा जाय? बिहार शिक्षा परियोजना परिषद. नेति होंगे कि आपकी प्याप निरिद्या एवं <sup>६९</sup> <mark>अस्ति।</mark> ट्रन्यूज्या बंटा भी पढ़े, पडकर होशियर वर्ग तथा ब्रापांक: २९२२ ६१ अधिनी अपनिमित्रा का एवं अपने गांव का नाम चमकाये। प्रतिलिपि:-15 १- प्रभारी पदाधिधिकारी, बेतिया/रोहतास २- विशेष कार्यर्थ ५ पदाधिकारी, रोची/चेतरी/मुजप्परपुर, भाईने अपने बन्नों की किए मिल्ह सीतामढ़ी ३ फादर अगिरिस्टिन, बी.ई.पी. जमशेदपर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रीपत। ह०/-निदेशक. ंगरा बच्चों की शिक्षा ' के बचार र प्रगयान बिहार शिक्षा परियोजना परिशद.

पटना-२३

गान्य क

## हैडबिल मुद्रण एवं वितरण संबंधि दिशा निर्देश

- x हैडविल का साईज २० से. मी. x१५ से.मी. का हो तथा ''लेटर'' ''बोल्ड"' हो॥
- संबंधित हैंडिक्लि के मुद्रण के लिए मुजफ्फरपुर से 'न्यूज बुलेटिन मुद्रण हेतु प्राप्त कागज के बचे कतरनों का व्यवहार किया जाय तथा इस हेतु मुद्रण दर नियमानुसार दिया जाय।
- पर्चों का वितरण मेलों, जनसभाओं, प्रदर्शनियों आदि के अवसरों पर किया जाय तथा वितरण संबंधि प्रतिवेदन कार्यालय को भी प्रेषित किया जाय।
- x मुद्रण हेतु संदेश का एक उदाहरण
- क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे आपको अपना हाल समाचार चिटठी-पतरी द्वारा लिख कर दें?
- क्या आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा अपनी मजदूरी का सही हिसाब किताब रख सके?
- क्या आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा साह्कारों एवं दूकानदारों द्वारा नहीं ठगा जाय?

आप जरूर चाहते होंगें कि आपकी प्यारी बिटिया एवं आपका दुलरूआ बेटा भी पढ़े, पढ़कर होशियार बने तथा अपना, अपने परिवार का एवं अपने गांव का नाम चमकाये। तो

आईये अपने बच्चों को स्कूल भेजें- उसकी पढ़ाई पूरी करने में

बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा ''सब बच्चों को शिक्षा'' के प्रचार-प्रसार के लिए।

### बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, बेलट्रॉन भवन, बेलीरोड, पटना-२३

बी.ई.पीरी.

पत्रांक/३०३४

पटना

दि० ९.११.९३

प्रेषकः

श्री एस. विजयराघवन, भा.प्र.से.

निदेशक ।

सेवा में ं,

सभी उप विकास आयुक्त-सह-कार्यक्रम समन्वयक,

बिहार शिक्षाा परियोजना जिला ।

विषया:--

परियोजना जिलों से प्रकाशित होने वाले समाचार पर्चो (न्यूज लेटर) हेतु कागज की आपूर्ति के संबंध में।

महाशाया,

उपर्युक्त विष्णयक परिषद् कार्यालय पत्रांक २८७३ ८.१०.९३ को निदेश करें । मुजफ्फरपुर जिला में ''स्सारमू'' द्वारा संचित कागजा ४५ x ५६ से.मी. एवं ६६ x ८१ से. मी. की दो साईजों मे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध । है।

अतः पुनः अनुरोधा हैं। कि भविष्य में प्रकाशनार्ध समाचार पर्ची/संस्था पित्रकाओं एवं अन्य समान कार्यो हेतु कागज रखुले बाजार से प्राप्त न कर अपने जिला के लिए आवंटित कागज की मात्रा उपविकास आयुक्त, मुजफ्फरपुर से संपार्की स्थापित कर प्राप्त करने की कार्रवाई करें। चूंकि ये कागज परियोजना की संपत्ति है तथा इनका उपयोग परियोजना जिला। द्धारा ही किया जा रहा है। अतः इन कागजों की प्राप्ति हेतु किसी भी प्रकार की राशि का भुगतान उपविकास आयुक्ता, मुजफ्फरपुर को अलगा से नहीं करना है। अपने अधिकृत प्रतिनिधि को कागजों की आपूर्ति प्राप्त करने के पूर्व सुविध्या हेतु उप विकास आयुक्ता, मुजफ्फरपुर से उनके दूरभाष संख्या-२४२९३२ (आवास) एवं २४२७२६ (बिहार शिक्षा। पारियोजना) पर संपर्क स्थापित कर उन्हें पूर्व सूचना दे दें तािक उनके स्तर से तत्संबंधि पूर्व कार्रवाई की जा सके।

विश्वासभाजन, ह०/-निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना-२३

## ाबहीर शिक्षां परियोजमी परिषद् बिल्ट्रीन पवर्नि बिलीरोड , पटमाँ ३०ई

बी.ई.पी. पत्रांकः ३०५८

पटना

दि. १० ११ . ९ ३

प्रेषकः

श्री एस. विजयराघवन, भा प्र.से. निदेशक।

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त-सह प्रोग्रीम समन्वियक, बिहार शिक्षा परियोजना जिला। जिला। कि लगन हुई (उन्हें लड्डू) जिला ग्राज्य में जिला कि लगन हुई (उन्हें लड्डू) जिला ग्राज्य में जिला कि लगन के कि परियोजना में वाह्य सेवा शर्तों पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों/कर्मचारियों की १.१.९३ से महँगाई भत्ता भगतान के संबंध में।

महोशिय,

हिं कि बिहार सरकार, वित्त विभाग के जाप संख्या-३/ए१-२-१/१९९३-६८७८, पटना दिनोंक १९ अक्टूबर,, ९३ की प्रापितिप सलग्न करते हुए सूचित करना है कि बिहार शिक्षा परियोजना में वाह्य सेवा शत्तों पर प्रतिनियुक्त 'पटारि कि प्रापित के में उत्लिखित शत्तों के अनुरूप दिनोंक ११.९३ के प्रभाव से महागाई भता भागताना करने की स्वीकृति दी जाती है। परियोजना में कौन्ट्रेक्ट बेसिस पर पदस्थापित पदाधिकारियों/कर्मचारियों पर उक्त आदिशा लागू में ही की।

विश्वासभाजन, ह०/-निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, बेलट्रॉन भवन, बेलीरोड, पटना-२:

पटना,

दिनांक १९, अक्टूबर १९९३

### संकल्प

विषययः राज्य के सरकारी सेवको को देय महंगाई भले की दरों में संशोधन।

किता विभाग के संकल्प संख्या ४१,७४ (वि) (२) दिनांक १५६ ९३ के जरिये राज्य के सरकारी सेवकों को दिनांक १.७.९२ के प्रभाव से महंगाई-भले की दरों में संशोधन किया गया था।

२. भाभारत सरकार ने अपने कार्यात्वय ज्ञाप संख्या-पा सं-१ (२)/९३ संख्या-॥ खदिनीक २४ अप्रैल ''१९९३के जारय अपने ने सेवकों को दिनांक ११.९३ के प्रभाव से महंगाई भत्ते की स्वीकृति प्रदान की है। तदनुसार राज्य सरकार ने भी अपने सेवी निर्म को दिनांक ६ ६ ६८६३ के प्रभाव से महंगाई भत्नों की देय दरों को निम्नलिखित रूप से संशोधन करने का

दि. ११.१.१९९३

वित्त के आधार पर तत्कांत भूगतानं कर दिया जाया वित्त के २/००/- इतिमाह वेतन का २२ प्रतिशत

तक मूल वेतन जिल्ला निर्मात प्रमानिवार निर्मान प्रमानिवार विश्वान प्रमानिवार के किन्तु केतन का है। प्रमानिवार केतन वात्रालिय अधिक के किन्तु में अधिक किन्तु वात्रालिय के किन्तु किन्तु के किन्तु किन्तु किन्तु किन्तु के किन्तु के किन्तु के किन्तु के किन्तु के किन्तु किन ६०००/- रू. प्रतिमाह

निक्स मूल बेतन। इस महान होने हैं इस सकत्य के बिहुए मही प्रकार महाने की प्रतिसाद के प्रतिस्था के मुंगी के निक्त मार्गिया विभागिकी से एवं महाने वाचा प्रतिस्था के मार्ग के मार्ग के से स्वार्थ के मार्ग के से स्वार्थ के से से अधिक मूल वेतन

- इस आदेश के जिर्दे दिनांक १११९२ से स्वीकृत की जाने वाली महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त का भुगतान चतुर्थर्थं श्रेणी के कर्मचारियों को 2 अप्रैल १९९३ से तथा अन्य पदाधिकारियों/कर्मचारियों को १ अक्टूबर, १९९३ से नकद रूप में देये होगा।
- ४. <u>चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को १ जनव</u>री १९९३ से ३१ मार्च १९९३ तक एवं अन्य पदाधिकारियों/कमचारियों को जजनवरी १९९३ से ३० सितम्बर १९९३ तक देय महंगाई भन्ते की अतिरिक्त किस्त का बकाया उनके सामान्य भविष्य निधि रे खाते में जमा कर दिया जायेगा।

- ५. एक वर्ष या उससे कम की अवधि में सेवा निवृत्त होने वाले सेवी संवर्ग को वित्त विभाग के संकल्प संख्या-५५५४२ दिनांक १८.८.९३ में लिये गये निर्णय के अनुसार महंगाई भत्ते का नकद भुगतान किया जायेगा। ६. मूल वेतन बिहार सेवा संहिता के नियम ३४ए(१) में यथा परिभाषित के अनुसार होगा।
- ७. मूल वेतन के अलावे विशेष वेतन/वैयक्तिक वेतन इत्यादि पर महंगाई भत्ता देय नहीं होगा।
- ८. अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन प्राप्त करने वाले राज्य के सरकारी सेवकों को दिनांक १.१.९३ से देय महंगाईई भत्ते तथा अतिरिक्त महंगाई भत्ते (तदर्थ महंगाई भत्ते को छोड़कर) को मूल वेतन में छोड़ने के बाद प्राप्त राश्नि पर उपपर्युक्त दर से महंगाई भत्ता देय होगा।
- ९. महंगाई भत्ते के कारण की जाने वाली जिस अदायगी में ५० पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हैं, उसे अगले उउच्चतर रूपये पर पूर्णांकित किया जायेगा और ५० पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जायगा।
- १०. कोषागार पदाधिकारियों से अनुरोध है कि जिन सरकारी सेवकों के संबंध में इस संकल्प में स्वीकृत राशि कें भुभुगतान के लिये महालेखाकार, बिहार वित्त विभाग (वैयक्तिक दावा/निर्धारण कोषांग) के प्राधिकार-पत्र की अपेक्षा है, उनकें म्मामले में महालेखाकार, बिहार/वित्त विभाग) वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) के प्राधिकार-पत्र को बिना प्रतीक्षा किये निषधीरित औपबधिक वेतन के आधार पर तत्काल भुगतान कर दिया जाय।

जहां तक उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने का। प्रश्न है, इस संबंध में मुख्य न्यायाधीष, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापित, बिहार विधान परिषयद की स्वीकृति प्रत्याशा में स्वीकृत किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस सकंल्प के बिहार राज्य-पत्र में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियां। स्सरकार के सभी विभाग सभी विभागाध्यक्ष एवं महालेखाकार, बिहार को प्रेषित की जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश सेते, ह०/- १९१० ९३ (रामेश्वर सिंह), सरकार के अपर सचिव, वित्त विभाग। प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पो.-हिनू (रांची)/बीरचन्द पटेल मार्ग, पटना/वित्त विभाग (वैयक्तिक दाबा निध् र्गारण व कोरोपांग) पटना के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेपित।

> ह०/-(रामेश्वर सिंह) सरकार के अपर सचिव, वित्त विभाग

ज्ञाप संसं- ३/ए.१-२-१/१९९३-६८७८ पटना-१५, दि. १९ अक्टूबर, १९९३

प्रतिलिपि:- सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागागार/उप-कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी/प्राचार्य, प्रमण्डलीय लेखा प्रशिक्षण विद्यालय, पटना, रांची, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित।

ह०/-(रामेश्वर सिंह) सरकार के अपर सचिव, वित्त विभाग

ग्राप संसंख्या-३/ए१-२-१/१९९३-६८७८/ पटना-१५, दिनांक १९ अक्टूबर, १९९३।

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/निदेशक, लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन, गुलजारारबाग, पटना/अधीक्षक प्रेस एवं फाम्स, गया को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिये प्रेषित।

२. अनुनुसोध है कि संकल्प की २००० प्रतियाँ मुदित कर वित्त विभाग (साखा-इए) को उपलब्ध कराई जाय। (-) कंडिका-२ अधीक्षक, सचिवालय, मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना के लिए।

> ह०/-(रामेश्वर सिंह) सरकार के अपर सचिव, वित्त विभाग।

# ्बिहार शिक्षा प्रस्थिजना परिषद् बेल्ट्रॉन भवन, शास्त्री नगर, पटना-८०००२३

No REP 140

The DDC

Ranchi, Rohtas, Bettiah, Muzaffarpur, Sitamarhi, Chatra

District Project Co-ordinator, Father E.A. Augustine FUHIV)

यसकार के अपर मनिव विका विभाग Sub:- Maintenance of Separate Account for DIET

Sir,

This is to inform that DIET scheme will be financed entirely by Goyt of India for which detailed utilization reports will have to be periodically submitted. Even in the SLO, it has been felt that separation and maintenance of accounts is necessary from the point of view of Administrative convenience and efficient audit.

-\ o5

Therefore it has been decided to have separate accounts maintained at DIET ifself which should be operated by the Frincipal and the Accounts Officer/Accountant of the DIET concerned. Funds should be periodically transferred as per requirement and action plan approved, from DLO. The DLO will, at the time of submission monthly accounts incorporate the DIET account in its receipt of Expenditure and Trial balance statements.

> THE PROOF THE PR अधीक्षक प्रेस कि काम ग (S. Vijayaraghavan) Director

BIHAR EDUCATION PROJECT COUNCIL Beltron Bhawan, Shastri Nagar, Patna-800023

#### BIHAR EDUCATION PROJECT COUNCIL BELTRON BHAWAN, PATNA-23 OFFICE ORDER

Internal Audit Report of Bihar Education Project Council, Patna for the month of October & Novrember 93 has been submitted and inter alia, various objections raised therein have been discussed. On the basis of the observations as reflected in th report, following standing instructions are being issued to be followed in future:

[1] Cash Book and the Bank book shall be maintained properly and all the actual transactions of the day shall be entered therein immediately and balance of cash in hand and at Bank be closed

daily in ink;

[2] No Payment/receipt voucher should be entered in the cash book unless the same is found

to have been piroperly endorsed by the competent authority and completed in all respect;

[3] The cash book along with the payment/receipt vouchers, duly signed by the Cashier/Accountant should be made available for counterchecking by the Incharge Accounts on every next day;

[4] Every purchases of Petrol/Diesel for the official vehicles shall be entered in the log book of the respective vehicles. Persons authorised for issue of requisition coupon for taking delivery of fuel shall censure that all such deliveries of fuel are properly entered in the concerned log book.

[5] Acquittence Roll shall be maintained properly and all the payment of Monthly Salary/Arrear Salary should be made on the bill duly passed by the competent Authority in the Acquittence roll.

This order will come in force with immediate effect

Sd/[S. Vijayaraghawan]
Director

Memo No.3440

Date 24-1-94

opy iforwarded to:

1. Sri A. K. Kar, Incharge Accounts, BEPC, Patna

for information and to ensure compliance of the order. He will also see that the necessary rectifications are made as per the Internal Audit report

2. Sri I..P. Dutta, Accountant, BEPC Patna

Alongwith a copy of the Report to comply with the points under intimation to the undersigned through Incharge Accounts.

B. Sri W.K. Verma, Accountant [Units], BEPC, Patna.

4. Sri Samiran Bakshi, Asstt. Acctt. BEPC Patna

5. Sri Sunil Kumar Mazmudar, Asstt. Acctt. BEPC, Patna.

For information & necessary action.

Sd/-{S. Vijayaraghawan} Director

#### परिशिष्ट

### FINANCIAL NORMS

On the basis of the Norms of Govt. of India as modified after discussion with the reppresentatives of Govt. of India, UNICEF D.L.Os.

### A-PRIMARY FORMAL EDUCATION:

	•	
01. Workshop	Rs. 15000/-	Per workshop for 40 pesons
02 Bench mark Survey per block.	Rs. 4000/-	Details enclosed
03 Innovative School equipment:-	Rs. 10000/-	Details enclosed
04 Sports material per school.	Rs. 1500/-	ftems to be decii- ded at the districtt level as per neæd! and regional requirement
05. Teaching and learning material	Rs. 50/-	(Details Enclosed)
06. Writers workshop for local dialect Dev	Rs. 10,000/-	Per workshop.
07. Establishment of school library 08. Provision of infra-	Rs. 2000/-	Details enclosed:
i. Construction of school building (III classes & Head master's Room & library and verandah).	Rs. 177500/-	Per school building

ii SSchool ame:   CS	Rs. 17500/-	Per school
iii. DDrinking water- Truubewell (Rs. 18000/- poeer drill Tubewell)	Rs. 5000/-	Per Tubewell
iv. ! Sochool furniture	Rs. 7200/-	Details Enclased
<ul><li>09 SSchool Health pprogramme</li><li>10 SSchool based aactivities</li></ul>	To be decided at District Level	
11. BBlack Board to Sechools	Rs. 300/-	(cost of one blackboard)
12. AAward to teacher	Rs. 500/-	Per block
13. /Ahward to School	Rs. 1000/-	Per School per

Supp	oort to boys/Girls student	(1994-995)
1.	Text Books	36.000
2.	Note book, pen/pencil bags	<u>19.000</u> 55.000
<u>Esta</u>	blishment of school Library	
	ost of ordinary wooden almirah 675x840x308)mm	•
(ii) C	ost of books	2000.00
Scho	ol furniturce	
i.	Cost of two chairs with arms and three chairs without arms:-	15600
ii	cost 2 tables ordinary	10000
iii)	Cost almirah wooden (1675x840x308)mm	15600
•	Two boxes	17700
iv)	Cost two jute Mat 6'x1.5	15000/- 72000/-
BEN	CH MARK SURVEY PER BLOCK	
.1	Printing of Format including cost of paper	Rs. 20000/-
2.	Collection of Data	Rs. 15000/-
3.	Analysis and preparation of Final Report	Rs. 5000/-

### B. Cost Estimate per NFE

A. Esstimated cost of 25 children in 1 centre and a project of 100 centre (90 primary & 10 upper primary).

1. Primary Centre Cost:

### Noom-Recurring

### Recurring

		1994-95			
Itemm Rs.)	(Amount	ltem			(Amount in
(a) EqEquipment:					
(Box x 450.00	750.	(a) Honorarium	2400.00		
Blacktkbooard, 300.00		(b) TA on account	60,00		
		of Traning in 3 Phases	00.00		
(b) Tesearching lea-	850.00	(c) Training learning mate	rials		
rning g Materials		(books-Pencil, Slate e			1875.00
in these exentre (Map.		Books from BEP Rs.			1075.00
Chartets., books,		Learning Materials F			
gameses (materials etc.)		· ·	CO. 5501		
	•	(d) Training of instrctors	<b>.</b>		900,00
		30 days (a) 30/- per day	•		
•		towards boarding and lo	ading		
		(c) Honorarium to Maste		30,00	
		(a) Rs. 40/- per master tr	ainer		
		-for 30 persons training			
		urse five master trainer f			
		days training. 50x40x30	=		200.00
		30			
		(f) Supervisor training c	ost (a)		500,00
		Rs. 30/- per day for boar	ding		
		and lodging per days			
		(1 supervisor for 10 ten			
	•	Centres. <u>360</u>			36.00
4 - 4 - 4		10			
		(g) Honorarium to maste			
		per supervisor training (			
		Rs. 40/- per days for 12			
		training 30 supervisors p	er		
		centres five master			
		trainer. <u>12x40x5</u>			<u>8.00</u>
		300			
					Total:- <u>5479.00</u>
		(h) Supervision cost:	•		500.00

ii) UPPER PRIM	ARY CENTRE		
Non Recurring		Recurring	Amounnt in Rs.
_		ITEM	Amount it is.
a)Furniture	950,00	a) 2 Instructors Honorarium	
b)Teaching and	•	Rs. 250x2x12=	6000
learning materi	al 850.00	b) Teaching and learning	2500
	1800.00	material @ Rs. 100/-	
•		c) Training of 2 Instructor	1400
		d) Supervision	500
		e) Contingency expenses	<u>250</u>
		f) Honorarium to Master	
		Trainers @ Rs. 40/- per m-	
		aster trainer-for 30 persons	
		training per course five	
		master trainer for 30	
		days training.	
		50x40x30=200	200
		30	
		g) Supervisor training	
		cost (a) Rs. 30/- per day	
		for boarding and lodging	
		for per days (1 supervisor for 10 ten Centres	v v
			36
		360	.10
		10	
		h) Honorarium to master	
		trainner per supervisor	
		training per supervisor	
		training @ Rs. 40/- per	
		days for 12 days training	
		•	

Total: - 10894

8

 $\frac{12x40x5}{300}$ 

30 supervisors per centres

five master trainer.

### iii) Cost of Supervision for 100 Nos. of NFE Centres

1.	Project officer @ Rs. 1800/- per month	21600.00
2.	Accounts clerk @ Rs. 900/- per month	10800.00
3.	T.A. D.A. and Contingency expenses	10000 00
		42400.00

C.	C. TRAINING
In-services Teachers Training 21 days course	Rs. 1400.00 each trainee.
In-service Teachers Training. 11-days course (92-93 batch)	Rs. 900.00 each traimee.
H.M.'s training (5-days) outside DIET	Rs. 350.00 each traimee.
Education field officer's training. outside DIET	Rs. 400.00 each traimee.
Training of VEC. functionaries. outside DIET	Rs. 50.00 each trairnee.
DIET: upgradation & strengthening (non-recurring)	Rs. 9,30,000.00 each DIET.
DIET: Management expenses (recurring)	Rs. 3,60,000.00 each DIET
In-service Training (21 day Cource) in DIET	1,000.00 each traineæ
H.M.'s Training (5 days) in DIET	Rs. 200 00 each traimee.
Education field officers (5 days) in DIET	Rs. 200.00 " "
Magazine Production	Rs. 10.00 each Magazine.

Provisions made under items 1, 2, 3, 4, 5 & 11 cover managemen expenses.)

### DIET

### RECUURRING EXPENSES.

A.	<b>MIAANAGEMENT</b>	EXPENSES:
----	---------------------	-----------

i) Payy &&z Allowance	Rs. 70,000.00 PM	3.000	
ii) Fees's & Honorarium (Fee ffoor Resource persons Honoraariium to Guest Faculty)	Rs. 2,500.00 PM	0.300	
iii) Offfidce expenses	Rs. 2,500.00 PM	0.300	3.600
B. <u>IEEX(PENDITURE ON IN-</u> <u>TTFR/AINING/ORIENTAT</u>		<b>.</b>	
IIn-1-Service Teachers train	ing programme.		
Blogarding arrangement for 7 foor 1(0+11 days training pro			
(@) Rs. 30.00			4.410
ii) Orn s stationary, printed mater for 7700 persons @ Rs. 25.0			0.175
T. Al. 7700 persons @ Rs. 40 Om fifielld visit @ Rs. 2000.00			0.560
211 ddayys course 20	•		0.400
ii) Teachhing kit @ Rs. 200.00 p Expenndliture per trainee 1000			1.400 6.945
WORKSHOPS (6 in a year)			

Boarding arranagement @ Rs. 30.00 per day. 20 participants in workshop (30-20-4-6)	0,144	
(100-20-6)	0.120	t f
(15/20.6)  (250.6)  (250.6)	0.018	: (0,1297
3 HEADMASTER TRAINING PROGRAMME 20 PER COURSE 4 COURSES IN A YEAR OF 5 DAYS DURATION.		
i) Boarding (a Rs. 30 00 (30 20 4 5)) (30 20 4 5) (40 20 4)	0.120 0.032	
ii) Stationery @ Rs. 15.00 (15.20.4)	0.012	0).164
0.175		
0.500		
0.400		
1 400 6 045		

### IN SERVICE TEACHERS TRAINING PROGRAMME

### INDEPENDENT OF DIET

### Expenditure Per Course (35 Trainees/Course)

1.	10 day course		11 day course
1. T.A. to participants	@ 40x35 Persons	1400.00	1400.00
2. D.A. to	@ 30x35 Persons	10500 00	10500.00
3. Stationary to	(a) 10x35 Persons	350 00	350.00
4. T.A. Resources persons	(à 100x5 Persons	500 00	500 00
5. D.A. to resources persons	30x5 Persons 14250,00	1500,00 15450 00	1650 00
II Course Management expense		2750 00	3025.00
III. Refreshment & Tea w 5 R			•
	pants (5 <b>R</b> esource) (-10 extra	2500.00	2750.00
IV Course Contingency		500.00	50000
V Teaching kit @ 200/- each to (at the end of 21 day Training)			2000.00
	20000.00	30 <b>725</b> .00	
Training cost/each trainee		571.13	877. <b>86</b>
Training cost arrived as per deliberation		550.00	850.00

does not include cost of training manual

Training Manual Cost 1st Mannual (a) Rs 12/- per trainee II Mannual (a) Rs 15/- per trainee

	·				
INJUC	TURE PICTUR	RE TRNG.		* * * * *	
PROG	REMME 15 PE	R COURSE			
3 COU	RSE IN A YEA	AR OF 5	*		
DAYS	DURATI.ON.	**			

i)	Boarding	Rs. 30.00 (30.15 3 5)	0.06750	
ii)	<b>T.A</b> .	Rs. 40.00 (40 15 3)	0.02250	
iii)	Stationary	Rs. 15.00 (15 15 34)	0.00675	
		(13 13 34)	0.00075	0.096776'6
	NON RECURRING EXPENSES			
1.	Repair & Alteration, i.e. water supply severage and elecricity			
i)	<sup>'</sup> Quarter			
ii)	Dormitory/Hostel			5.00
2.	FURNITURE AND FIXTURES			2.00
3	EQUIPMENTS /BOOKS	•		0.50
i) iis	Library (Books)		•	0.10
ii) iii)	Work Experience Laboratory Class/officer/faculty room	•		1.00
iv)	Laboratory			0.25
v)	AV and other needs			0.25
1)	Special education cell	•		<b>4.2</b> 3
	(e.g. for handicapped children)			2.30
	(0.5. for imilateapped emidient)	•	Total	9.30

### MAHILA SAMAKHYA RESOURCE CENTRE D.

		1994-95
NoNoNoon Recurring	21.0	N.E. (2000)
Furrururniishing/Furniture equipments	<u><b>SLO</b></u> 2.00	<u>DLO</u> 1.50
Recedeccurring:		
L. L. L. Library (Books, AV materials		
periodicals etc.	1.00	.55
2. R. R. Rtent/ Hire etc.	.50	.30
3. MiM Miscellaneous	_25_	
	3.75	. <u>15</u> 2.50
FIELD CEN	NTRES	
Non in lRecurring	(Rs. in lakh)	April 1
1. B B Building:		
l large hall, 2 small rooms,		
ki ki kitchen, storeroom, werandah, sanitary wing:	6.00	
	<u>2.00</u>	
f i musmishing etc	8.00	
Recurrurrring:		
HoHoHonorarium to full time persons		•
to to to look after the centre:	.24	
Lib.ib.ib) books, newspaper, periodical	.50	
Mississcellanous	.26	
	1.00	
92	Total recurring & non rec	urring:- <u>9.00</u>
9_		

### COST ESTIMATE FOR ONE MS UNIT CONSISTING OF 50 VILLAGES.

#### PHASE-I VEAR-I

a) Sahayoginis-24x30x5=

Honorarium to Trainers & Training materials:

b) Sakhies-50x30x10=

PHASE-II (Year-2) MAHILA KUTIR 10 Kutirs x 30,000

Non Recurring	Non	Non recurring= 3,00,000.00	
Typewriter (Hindi)	-1 Rs. 5500/-		
Chairs	-4 Rs. 3000/-	Year I & II	
Tables (small size)	-2 Rs. 6000/-	Jag jaggi 1,79,370/- Kendras- 30 centres per	
Almirah	-1 Rs. 8500/- Rs. 5979/-	kendra expenditure	
Darries 15' x 20'	-1 Rs. 2000/- 25000/-		
YEAR I & YEAR II			
Recurring (Per year)			
Honorarium to Sahayogini 750 x 5 x12=	Rs. 45(000/-	й. 	
Honorarium to R. Person 2500 x 12=	Rs. 30000/-		
Stipend to Mahila Samoohs 50 x 2400=	Rs. 1,20,000/-	+ 9 -	
Typist vum secretary 1000x12=	Rs. 12000/-		
Workshops 5x 4000=	Rs. 20,000/-		
-Training:		•	

Rs. 3600/-

Rs 15,000/-

Rs: 5,000/-

Field Tour for net working and experience sharing:

Rs. 5.000/-

Meeting and other expenses.

Rs. 5,000/-

Contingencies.

Rs. 5,000/-

Office expenses. (Files

Stationary etc.)

Rs. 5,000/-

Office rent 1000x12=

Rs. 12,000/-

Book/ periodicals

Rs. 2500/-

Total:- Rs. 2,85,100/-

#### **FINANCIAL NORMS FOR MSK**

(For ONE YEAR for a intake of 30-35 Trainees)

A. NON-RECURRING

AMOUNT ((IN Rupees)

INFRASTRUCTURE

Repair/additions/Sanitory

Block etc

1,00,000.00

Furniture/Equipments/Hostel

Furnishing (Dhjurries, beddings, masheets etc.) TV-VCR, Two

n one, Camera, typewriter,

sewing machines etc.

2,00,000.00

3,00,000.00

### **B. RECURRING COST**

Food and Lodging for trainees

Toilet articles included)

500x30x11

1,65,000.00

Salaries Co-ordinator, 2 teachers, Vocational Instructors)	78,000.00
Salary to Two Watchmen 1000x12x2	24,000.00
Teaching-Learning Materials	6,000.00
Training of MSK Staff and Development of Teaching/ learning Materials etc)	20,000.00
Library Books, Periodicals, A-V aids, other Educational materials	16,000.00
Health Care	5,000.00
Office and other Administrative expenses	25,000.00
Extra Curricular Activities, Field Tours, Cultural & Sports meets etc	10,000 00
Contingency	5,000 00 3,77,000.00

A. 3,00,000.00

B. <u>3,77,000.00</u> 6,77,000.00

LIBRARY & DOUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-0. Sri Aurobindo Marg.
New Colhi-110016
DOC. No.

<sup>\*\*</sup> Where there is no own structure the provision made for repair etc. under N.R. expenses will be transferred to Recurring Expenses Head on a/c of Rent etc.